

आईडीबीआई बैंक लि. समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2019)

1. प्रयोज्यता का क्षेत्र और पूंजी पर्याप्तता

तालिका डीएफ-1 : प्रयोज्यता का क्षेत्र

लेखांकन और विनियामक समेकन

वित्तीय रिपोर्टिंग के उद्देश्य से बैंक आस्तियों, देयताओं, आय और व्यय जैसी मदों को एक साथ जोड़ते हुए पंक्ति-दर-पंक्ति आधार पर लेखांकन मानक (एएस) 21, समेकित वित्तीय विवरण के अनुसार अपनी सहायक संस्थाओं का समेकन करता है। सहयोगी संस्थाओं में निवेशों को एएस-23, समेकित वित्तीय विवरणों में सहयोगी संस्थाओं में निवेश के लिए लेखांकन के अनुसार इक्विटी प्रणाली द्वारा लेखाबद्ध किया जाता है।

समेकित विवेकपूर्ण विनियामक रिपोर्टिंग के उद्देश्य से समेकित बैंक में बीमा कारोबार और किसी गैर-वित्तीय गतिविधियों में शामिल समूह कंपनियों को छोड़कर बैंक के नियंत्रणाधीन सभी समूह संस्थाएं शामिल हैं। लेखांकन और विनियामक उद्देश्यों के लिए समेकित स्थिति के साथ बैंक की सहायक और सहयोगी संस्थाओं के विवरण निम्नानुसार हैं :

समूह के शीर्ष बैंक का नाम जिस पर रूपरेखा लागू होती है: आईडीबीआई बैंक लि.

(i) गुणात्मक प्रकटन

क. समेकन के लिए शामिल समूह संस्थाओं की सूची

संस्था का नाम/ निगमन देश	क्या संस्था को समेकन के लेखांकन क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है (हाँ/ नहीं)	समेकन की पद्धति स्पष्ट करें	क्या संस्था को समेकन के विनियामक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है (हाँ/ नहीं)	समेकन की पद्धति स्पष्ट करें	समेकन की पद्धति में अंतर के कारण स्पष्ट करें	यदि समेकन के केवल एक ही क्षेत्र में समेकित किया गया है तो उसके कारण स्पष्ट करें
आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज लि./ भारत	हाँ	एएस-21 के अनुसार समेकित, समेकित वित्तीय विवरण	हाँ	एएस-21 के अनुसार समेकित, समेकित वित्तीय विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं
आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लि./ भारत	हाँ	एएस-21 के अनुसार समेकित, समेकित वित्तीय विवरण	हाँ	एएस-21 के अनुसार समेकित, समेकित वित्तीय विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं
आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लि./ भारत	हाँ	एएस-21 के अनुसार समेकित, समेकित वित्तीय विवरण	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लि. गैर- वित्तीय संस्था है. इसे समूह की समेकित विनियामक पूंजी में से घटाया गया है.
आईडीबीआई इंटेक लि./ भारत	हाँ	एएस-21 के अनुसार समेकित, समेकित वित्तीय विवरण	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	आईडीबीआई इंटेक लि. गैर- वित्तीय संस्था है. इसे समूह की समेकित विनियामक पूंजी में से घटाया गया है.

संस्था का नाम/ निगमन देश	क्या संस्था को समेकन के लेखांकन क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है (हाँ/ नहीं)	समेकन की पद्धति स्पष्ट करें	क्या संस्था को समेकन के विनियामक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है (हाँ/ नहीं)	समेकन की पद्धति स्पष्ट करें	समेकन की पद्धति में अंतर के कारण स्पष्ट करें	यदि समेकन के केवल एक ही क्षेत्र में समेकित किया गया है तो उसके कारण स्पष्ट करें
आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लि./ भारत	हाँ	एएस-21 के अनुसार समेकित, समेकित वित्तीय विवरण	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप गैर- वित्तीय संस्था है. इसे समूह की समेकित विनियामक पूंजी में से घटाया गया है.
आईडीबीआई फेडरल लाइफ इश्योरेंस कंपनी लि./ भारत	हाँ	एएस-27 के अनुसार समेकित, संयुक्त उद्यम में हित की वित्तीय रिपोर्टिंग	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	बीमा कारोबार में रत होने के कारण विनियामक रिपोर्टिंग दिशानिर्देशों के अनुसार शामिल नहीं किया गया है.
बायोटेक कंसोर्शियम इंडिया लिमिटेड	हाँ	एएस-23 के अनुसार इक्विटी प्रणाली द्वारा लेखाबद्ध, “समेकित वित्तीय विवरणों में सहयोगी संस्थाओं में निवेशों के लिए लेखांकन.”	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	पूँजी पर्याप्तता प्रयोजनों के लिए जोखिम भारत
नेशनल सिक्वोरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड	हाँ	एएस-23 के अनुसार इक्विटी प्रणाली द्वारा लेखाबद्ध, “समेकित वित्तीय विवरणों में सहयोगी संस्थाओं में निवेशों के लिए लेखांकन.”	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	पूँजी पर्याप्तता प्रयोजनों के लिए जोखिम भारत
पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लिमिटेड	हाँ	एएस-23 के अनुसार इक्विटी प्रणाली द्वारा लेखाबद्ध, “समेकित वित्तीय विवरणों में सहयोगी संस्थाओं में निवेशों के लिए लेखांकन.”	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	पूँजी पर्याप्तता प्रयोजनों के लिए जोखिम भारत

ख. समेकन के लेखांकन व विनियामक, दोनों ही क्षेत्रों के लिए समेकन में शामिल न की गई समूह संस्थाओं की सूची:

समूह की ऐसी कोई संस्था नहीं है जिसे समेकन के लेखांकन व विनियामक, दोनों ही क्षेत्रों के लिए समेकन में शामिल न किया गया हो।

(ii) संख्यात्मक प्रकटन:**ग. विनियामक समेकन में शामिल की गई समूह संस्थाओं की सूची**

(राशि ₹ मिलियन में)

संस्था का नाम/ निगमन देश (जैसा कि ऊपर (i) क. में दर्शाया गया है.)	संस्था का मुख्य कार्यकलाप	कुल तुलन पत्र इक्विटी (विधिक संस्था के लेखांकन तुलन पत्र में दर्शाए अनुसार)	कुल तुलन पत्र आस्तियां (विधिक संस्था के लेखांकन तुलन पत्र में दर्शाए अनुसार)
आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज लि./ भारत	कारोबार में स्टॉक ब्रोकिंग, वित्तीय उत्पादों का वितरण, मर्चेन्ट बैंकिंग, कॉरपोरेट सलाहकारी सेवाएं आदि शामिल हैं।	₹. 1281	₹. 3534
आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लि./ भारत	एमएफ़ योजनाओं के तहत जुटाई गई निधियों के निवेशों का प्रबंध करता है।	₹. 2000	₹. 1173

(घ.) सभी सहायक संस्थाओं में पूंजीगत कमियों की संकलित राशि, जिसे समेकन के विनियामक क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया है, अर्थात् जिसे घटाया गया हो:

किसी सहायक संस्था में ऐसी कोई पूंजीगत कमी नहीं है जिसे समेकन के विनियामक क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया है।

(ङ.) बीमा संस्थाओं में बैंक के हित की संकलित राशि (अर्थात् चालू बही मूल्य) जोकि जोखिम-धारित है:

(राशि ₹ मिलियन में)

बीमा कंपनी का नाम/ निगमन देश	संस्था का मूल कार्यकलाप	कुल तुलन-पत्र इक्विटी (विधिक संस्था के लेखांकन तुलन-पत्र में दर्शाए अनुसार)	कुल इक्विटी में बैंक की धारिता का % / वोटिंग अधिकार का अनुपात	जोखिम भारित पद्धति प्रयोग करने बनाम पूर्ण कटौती पद्धति प्रयोग करने का विनियामक पूंजी पर मात्रात्मक प्रभाव
आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि./ भारत	जीवन बीमा कारोबार	₹. 8000	48 %	2796.00

(च.) बैंकिंग समूह में निधियों के अंतरण या विनियामक पूंजी पर किसी प्रकार का प्रतिबंध या रुकावट:

बैंकिंग समूह में निधियों के अंतरण या विनियामक पूंजी पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध या रुकावट नहीं है।

तालिका डीएफ -2 : पूंजी पर्याप्तता

बैंक संभावित हानि जोखिमों के प्रति कुशन के रूप में तथा अपने हितधारकों, जमाकर्ताओं और लेनदारों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए पूंजी रखता है और उसका प्रबंध करता है। बैंक की भावी पूंजी आवश्यकता को इसकी कारोबार रणनीति के अनुसार इसकी वार्षिक कारोबार योजना के एक भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। बैंक की भावी पूंजी आवश्यकताओं की गणना करने में ब्याज दर, विनिमय दर, नकदी स्थिति जैसे कई कारकों पर विचार करने के बाद बाजार के स्ख के बारे में राय तय की जाती है। इसके अलावा तुलन पत्र संरचना, पोर्टफोलियो संमिश्र, वृद्धि दर तथा संबंधित भुनाई जैसे विस्तृत मानदंडों पर भी विचार किया जाता है। साथ ही सटीक अनुमान दर्शाने के लिए ऋण संरचना और रेटिंग मैट्रिक्स पर भी विचार किया जाता है। दिनांक 1 अप्रैल 2013 से प्रभावी बासेल III दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक अपने पूंजी अनुपातों की गणना रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार कर रहा है। बासेल III मानदंडों का मुख्य ध्यान टीयर I पूंजी की गुणवत्ता और

मात्रा पर है। बैंक को अनर्जक आस्तियों के लिए उच्चतर प्रावधानीकरण के कारण हानि उठानी पड़ी है, जिसके कारण बैंक का पूंजी अनुपात (सीआरएआर) न्यूनतम विनियामक अपेक्षाओं से कम हो गया है। यथा 31 मार्च 2019 को बैंक की एकल सीआरएआर की स्थिति निम्नानुसार है:

सीआरएआर	बासेल III
सीईटी 1	8.91%
टीयर 1	9.13%
टीयर 2	2.45%
कुल (टीयर 1 + टीयर 2)	11.58%

वर्तमान व भावी जोखिमों की पहचान, मात्रा - निर्धारण और अनुमान लगाने के लिए बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित आंतरिक पूंजी पर्याप्तता आकलन प्रक्रिया (आईसीएएपी) नीति लागू की है। इस नीति में ऐसे जोखिमों पर कार्यवाई करने की प्रक्रिया, बैंक की वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले उनके प्रभाव के आकलन तथा उनके नियंत्रण और न्यूनीकरण के लिए उपयुक्त रणनीति तैयार करना और इस प्रकार पूंजी का पर्याप्त स्तर बनाए रखना शामिल है। यह सुनिश्चित करने के लिए आवधिक रूप से आईसीएएपी अभ्यास किया जाता है कि बैंक के पास अपनी कारोबारी आवश्यकताओं के अनुरूप विनियामक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त पूंजी है। बैंक की आईसीएएपी नीति में समेकित दबाव परीक्षण नीति की रूपरेखा भी शामिल है जिसमें विनियामक दबाव स्थितियाँ शामिल हैं जो बैंक की जोखिम रूपरेखा तथा पूंजी की स्थिति पर ऐसे गंभीर किंतु सत्याभासी दबाव परिदृश्य के प्रभाव पर अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। दबाव परीक्षण अभ्यास नियमित रूप से किए जाते हैं। यह बोर्ड द्वारा अनुमोदित दबाव परीक्षण ढांचे पर आधारित हैं जिसमें दबाव परीक्षण पर रिजर्व बैंक के दिनांक 02 दिसंबर 2013 के दिशानिर्देशों को शामिल किया गया है। बैंक की लाभप्रदता और पूंजी पर्याप्तता पर दबाव परिदृश्य के प्रभावों का विश्लेषण किया जाता है। दबाव परीक्षण रूपरेखा के अंतर्गत बैंक की पूंजी स्थिति पर विपरीत व्यापक आर्थिक सूचकों के संभावित परिणाम व लाभप्रदता पर प्रभाव का अध्ययन करने के लिए किया जाने वाला परिदृश्य विश्लेषण शामिल है। विलोम दबाव परीक्षण प्रणाली का उपयोग दबाव के उस स्तर को जानने के लिए किया जाता है जो पूंजी को प्रभावित कर इसे पूर्व-निर्धारित स्तर पर ले जाए। इस अभ्यास के परिणाम उपयुक्त बोर्ड स्तरीय समिति (यों) को सूचित किए जाते हैं।

दिनांक 31 मार्च 2019 को समेकित सीआरएआर स्थिति निम्नानुसार है:

(राशि ₹ मिलियन में)

पूंजी आवश्यकता	
ऋण जोखिम पूंजी :	
मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन पोर्टफोलियो	133,007.80
प्रतिभूतिकरण	0
बाजार जोखिम पूंजी :	
मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण	17,434.33
ब्याज दर जोखिम	11,520.57
विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम (स्वर्ण सहित)	405.00
इक्विटी जोखिम	5,498.59
डेरिवेटिव पर (एफएक्स विकल्प)	10.16
परिचालन जोखिम पूंजी :	
मूल संकेतक दृष्टिकोण	15,298.17
कुल अपेक्षित न्यूनतम पूंजी, सीसीबी को छोड़कर	165,740.30
सामान्य इक्विटी टीयर 1, टीयर 1 एवं कुल पूंजी का अनुपात :	
सीईटी 1	9.06%

टीयर 1	9.29%
टीयर 2	2.44%
कुल (टीयर 1 + टीयर 2)	11.73%

2. जोखिम एक्सपोजर एवं मूल्यांकन

तालिका डीएफ-3: ऋण जोखिम: सामान्य प्रकटन

ऋण जोखिम एक प्रकार का हानि जोखिम है जो प्रतिपक्षी द्वारा वित्तीय संविदा की शर्तों के अनुसार उसकी देयताओं के दायित्वों को पूरा न करने अथवा उसकी चूक के कारण उत्पन्न हो सकता है। ऐसी किसी भी घटना का बैंक के वित्तीय कार्य-निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बैंक को अपने उधार, निवेश तथा संविदागत व्यवस्थाओं के जरिए ऋण जोखिम का सामना करना पड़ता है। बैंक के समक्ष आने वाले ऋण जोखिमों के प्रभाव का सामना करने के लिए एक सुदृढ़ जोखिम अभिशासन ढांचा बनाया गया है। यह ढांचा जोखिमों के स्वामित्व और प्रबंधन के बारे में भूमिकाओं की स्पष्ट परिभाषा और साथ ही जिम्मेदारियों का निर्धारण प्रस्तुत करता है। रिपोर्टिंग संबंध तथा सूचना प्रबंध प्रणाली (एमआईएस) व्यवस्था के बारे में पदानुक्रम को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हुए जिम्मेदारी निर्धारण को और मजबूत बनाया गया है।

बैंक की ऋण जोखिम प्रबंध नीतियां

बैंक ने कार्यविधियों और प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं को स्पष्ट रूप से निरूपित करने के उद्देश्य से विभिन्न जोखिम प्रबंध नीतियां, प्रक्रियाएं तथा मानक तैयार तथा कार्यान्वित किए हैं जो सभी संबंधित कारोबारी समूहों के लिए बाध्यकारी हैं। बैंक की ऋण नीति ऋण एक्सपोजरों के परिमाण, निगरानी और नियंत्रण द्वारा एक उच्च गुणवत्ता पूर्ण ऋण पोर्टफोलियो बनाने तथा उसे बनाए रखने के उद्देश्य के साथ संचालित है। यह नीति कंपनियों, कारोबार समूहों, उद्योगों, भौगोलिक क्षेत्रों तथा सेक्टरों में पोर्टफोलियो के विशाखन जैसे सूक्ष्म कारकों पर भी ध्यान देती है। यह नीति मौजूदा कारोबार परिदृश्य तथा विनियामक शर्तों के आलोक में कॉरपोरेट ग्राहकों को उधार देने के प्रति बैंक का दृष्टिकोण प्रदर्शित करती है।

बैंक की ऋण नीति के अंतर्गत बैंक के खुदरा आस्ति पोर्टफोलियो को बढ़ाने तथा उन्हें बनाये रखने के लिए मानक, प्रक्रियाएं तथा पद्धतियां निर्दिष्ट की गयी हैं। यह नीति विभिन्न खुदरा उत्पादों के लिए वैयक्तिक उत्पाद प्रोग्राम दिशानिर्देशों के प्रतिपादन को भी संचालित करती है। ऋण नीति की उस परिवेश (विनियामक एवं बाजार) की गति की प्रत्याशा में या उसके प्रत्युत्तर में वार्षिक समीक्षा की जाती है जिसमें बैंक परिचालन करता है या रणनीतिक दिशा, जोखिम सहनशीलता आदि में परिवर्तन करता है। यह नीति बैंक के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित है।

ऋण जोखिम के संकेद्रण से बचने के लिए, बैंक ने एकल उधारकर्ता, समूहों से संबंधित एक्सपोजर, संवेदनशील क्षेत्र के एक्सपोजरों, उद्योग एक्सपोजर और अप्रतिभूत एक्सपोजर के बारे में आंतरिक दिशानिर्देश लागू किए हैं। नये कारोबार प्राप्त करने के लिए और नये ग्राहकों की प्रारंभिक जांच के लिए भी मानदंड निर्दिष्ट किए गए हैं। बैंक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, वाणिज्यिक रियल एस्टेट, पूंजी बाजार, पण्य, रत्न एवं आभूषण तथा बुनियादी क्षेत्र सहित किसी भी उद्योग को ऋण देने के संबंध में रिजर्व बैंक, सेबी तथा अन्य विनियामक निकायों द्वारा जारी किए गए निदेशों का पालन करता है। इसके अलावा, विवेकपूर्ण विचारों के आधार पर कुछ विशिष्ट खंडों के लिए आंतरिक सीमाएं भी निर्धारित की गयी हैं।

बैंक के पास देशी तथा अंतर्राष्ट्रीय बैंकों में एक्सपोजर से संबंधित प्रतिपक्षी जोखिम पर और विभिन्न देशों में ऋण-निवेश से संबंधित देश जोखिम प्रबंधन पर विशिष्ट नीतियां हैं।

ऋण जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया :

ऋण प्रस्तावों की मंजूरी निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित प्रत्यायोजन संरचना के अनुसार की जाती है। बैंक द्वारा प्रयुक्त ऋण जोखिम रेटिंग ऋण प्रस्तावों का मूल्यांकन करने का एक मुख्य साधन है।

बैंक ने बासेल अपेक्षाओं के अनुरूप आंतरिक रेटिंग मॉडल जोखिम मूल्यांकन मॉड्यूल (रैम) को कार्यान्वित किया है। यह रेटिंग के लिए एक द्विआयामी मॉड्यूल अर्थात् बाध्यताधारी तथा सुविधा है। उधारकर्ता की श्रेणी और विशेषता के अनुसार विभिन्न रेटिंग मॉडलों के लिए वित्तीय, कारोबार, प्रबंधन तथा उद्योग जैसे विभिन्न जोखिम मानदंडों का इस्तेमाल किया जाता है। प्रस्ताव की गुणवत्ता व मात्रात्मक जानकारी का ऋण जोखिम विश्लेषक द्वारा मूल्यांकन किया जाता है ताकि उधारकर्ता की ऋण रेटिंग का पता लगाया जा सके।

एक निश्चित प्रारंभिक राशि से अधिक के प्रस्तावों की रेटिंग बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा केन्द्रीकृत रूप में की जाती है। खुदरा उत्पादों के ऋण का अनुमोदन पृथक खुदरा उत्पाद दिशानिर्देश से संचालित होता है तथा प्रत्येक प्रस्ताव का मूल्यांकन स्कोरिंग मॉडल के जरिए किया जाता है।

उपर्युक्त के अलावा, एक ऋण लेखा-परीक्षा प्रक्रिया भी लागू की गई है जिसका उद्देश्य ऋणों की समीक्षा करना है और यह ऋण मूल्यांकन, निगरानी तथा न्यूनीकरण प्रक्रिया की प्रभावकारिता का मूल्यांकन करने के लिए एक प्रभावी साधन है।

ऋण पोर्टफोलियो निगरानी :

आंतरिक और विनियामक सीमाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए और अनुचित संकेंद्रण (उधारकर्ता या उद्योग) से बचने के लिए बैंक के ऋण पोर्टफोलियो की नियमित आधार पर निगरानी की जाती है। इसे उच्च प्रबंधन को आवधिक आधार पर सूचित किया जाता है।

इसके अलावा, आस्ति पोर्टफोलियो की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए बैंक ने दो आयामी रणनीति अर्थात् घटना की रोकथाम और एनपीए का समाधान/ वसूली, अपनाई है। इस संबंध में बैंक की एनपीए नीति है जिसमें गहन निगरानी, लगातार अनुवर्ती कार्रवाई और उचित सक्रिय सुधारात्मक कार्रवाई योजना द्वारा मौजूदा मानक आस्तियों की गिरावट की रोकथाम और एनपीए की वसूली/ समाधान के लिए दिशानिर्देश तय किए गए हैं।

अनर्जक आस्तियों की परिभाषाएं :

बैंक अपने अग्रिमों का वर्गीकरण रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार अर्जक और अनर्जक अग्रिमों में करता है। अनर्जक आस्ति (एनपीए) ऐसा ऋण या अग्रिम है, जहां मीयादी ऋण के मामले में ब्याज और/ अथवा मूलधन की किस्त 90 से अधिक दिन से अतिदेय हो और खाता ओवरड्राफ्ट/ नकदी ऋण (ओडी /सीसी) के संबंध में 'अनियमित' रहता है। यदि खाते में बकाया राशि मंजूर सीमा/ आहरण अधिकार से लगातार अधिक रहती हो, तो उसे भी 'अनियमित' माना जाता है। जिन मामलों में मुख्य परिचालन खाते में बकाया राशि मंजूर सीमा / आहरण अधिकार से कम है, किंतु उनमें तुलन पत्र की तारीख तक लगातार 90 दिन तक कोई राशि जमा नहीं होती है या जमा की गई राशियां इस अवधि के दौरान नामे किए गए ब्याज के लिए पर्याप्त नहीं हैं, तो ऐसे खातों को भी 'अनियमित' माना जाता है। अन्य एनपीए निम्नानुसार हैं:

- क्रय किए गए या भुनाए गए बिलों के मामले में बिल 90 से अधिक दिन से 'अतिदेय' हो।
- कृषि ऋण के संबंध में अल्पावधि फसलों के मामले में ब्याज तथा/अथवा मूलधन की किस्तों की अदायगी दो फसल मौसम से अतिदेय हो और दीर्घावधि फसलों में एक फसल मौसम से अतिदेय हो।

एनपीए को आगे अवमानक, संदिग्ध एवं हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अवमानक आस्ति उसे कहा जाता है, जो 12 माह या इससे कम अवधि से एनपीए हो। किसी आस्ति को संदिग्ध तब माना जाता है, जब यह अवमानक आस्ति की श्रेणी में 12 माह या इससे अधिक अवधि से हो। हानि आस्ति उसे कहा जाता है जो बैंक द्वारा अथवा आंतरिक / बाह्य लेखा परीक्षकों द्वारा अथवा रिजर्व बैंक के निरीक्षण के दौरान हानि आस्ति के रूप में अभिनिर्धारित की गई हो किन्तु राशि को पूर्णतः बट्टे खाते नहीं डाला गया हो।

प्रतिभूतियों में निवेश के संबंध में, जहां ब्याज/ मूलधन बकाया हो, बैंक ऐसी प्रतिभूतियों पर आय को गणना में शामिल नहीं करता है तथा निवेश के मूल्य में कमी के लिए रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित प्रावधानीकरण मानदंडों के अनुसार उचित प्रावधान करता है।

क. कुल सकल ऋण जोखिम एक्सपोजर, निधि आधारित एवं गैर-निधि आधारित अलग-अलग.

(राशि ₹ मिलियन में)

विवरण	निधि आधारित	गैर-निधि आधारित	कुल
कुल सकल ऋण एक्सपोजर*	2,311,808.29	1,085,396.14	3,397,204.43
देशी	2,094,064.99	1,085,373.81	3,179,438.80
विदेशी	217,743.30	22.33	217,765.63

* ऋण एक्सपोजर में निवेश शामिल हैं

ख. सकल ऋण एक्सपोजर का उद्योग प्रकार विवरण : निधि आधारित व गैर-निधि आधारित

(राशि ₹ मिलियन में)

उद्योग	निधि आधारित ऋण एक्सपोजर	गैर-निधि आधारित ऋण एक्सपोजर	कुल ऋण एक्सपोजर*
कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलाप	244,347.80	1,441.01	245,788.81
खनन और उत्खनन	93,459.86	18,842.51	112,302.37
खाद्य प्रसंस्करण	53,349.47	8,240.02	61,589.49
पेय (चाय और कॉफी को छोड़कर) और तंबाकू	6,695.26	365.90	7,061.16
टेक्सटाइल	71,651.34	6,947.17	78,598.51
चमड़ा और चमड़ा उत्पाद	1,555.17	83.12	1,638.29
लकड़ी एवं लकड़ी उत्पाद	1,064.92	447.89	1,512.81
कागज और कागज उत्पाद	23,386.98	4,805.24	28,192.22
पेट्रोलियम (नॉन-इम्फ्रा), कोयला उत्पाद (गैर-खनन) और आणविक ईंधन	28,543.95	31,060.67	59,604.62
रसायन और रसायन उत्पाद (डाई, पैट आदि)	105,776.60	50,274.95	156,051.54
रबड़, प्लास्टिक और उनके उत्पाद	32,914.64	6,046.79	38,961.43
काँच और काँच के बर्तन	1,524.05	47.78	1,571.83
सीमेंट और सीमेंट उत्पाद	16,471.36	8,054.97	24,526.33
मूल धातु और धातु उत्पाद	144,323.23	123,259.32	267,582.55
सभी इंजीनियरी	89,790.69	131,642.39	221,433.08
वाहन, वाहन पुर्जे और यातायात उपकरण	40,001.56	45,364.85	85,366.40
रत्न एवं आभूषण	14,414.78	557.34	14,972.12
निर्माण	52,565.00	84,947.24	137,512.24
इन्फ्रास्ट्रक्चर	440,998.81	347,384.68	788,383.49
अन्य उद्योग	7,046.47	1,545.34	8,591.80
परिवहन परिचालक	13,881.28	1,978.04	15,859.32
अन्य सेवाएं	48,973.78	63,060.87	112,034.65
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	5,382.26	7,624.01	13,006.27
पर्यटन, होटल और रेस्तराँ	13,129.94	1,795.30	14,925.24
शिपिंग	2,898.53	74.30	2,972.83
व्यावसायिक सेवाएं	24,843.44	8,213.03	33,056.47
व्यापार	182,718.54	12,324.72	195,043.26
वाणिज्यिक रियल इस्टेट	26,153.42	6,291.15	32,444.57

(राशि ₹ मिलियन में)

उद्योग	निधि आधारित ऋण एक्सपोजर	गैर-निधि आधारित ऋण एक्सपोजर	कुल ऋण एक्सपोजर*
एनबीएफसी	66,222.25	7,205.25	73,427.50
आवास ऋण (प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र आवास सहित)	412,346.33	1,041.34	413,387.67
उपभोक्ता वस्तुएं	32.51	0.16	32.67
क्रेडिट कार्ड प्राप्य राशियाँ	1,320.06	0.50	1,320.56
वाहन / ऑटो ऋण	11,154.37	332.76	11,487.13
शिक्षा ऋण	13,782.88	8.56	13,791.44
सावधि जमाराशियों (एफसीएनआर (बी) आदि सहित) पर अग्रिम	4,558.84	1,602.05	6,160.90
अन्य खुदरा ऋण	1,678.26	शून्य	1,678.26
अन्य अग्रिम	12,849.64	102,484.92	115,334.56
कुल	2,311,808.29	1,085,396.14	3,397,204.43

*ऋण एक्सपोजर में निवेश शामिल हैं

ग. सकल ऋण एक्सपोजर में 5% से अधिक हिस्सा रखने वाले उद्योग

(राशि ₹ मिलियन में)

उद्योग का नाम	निधि आधारित	गैर-निधि आधारित	कुल	%
इन्फ्रास्ट्रक्चर	440,998.81	347,384.68	788,383.49	23.21%
आवास ऋण (प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र आवास सहित)	412,346.33	1,041.34	413,387.67	12.17%
मूल धातु और धातु उत्पाद	144,323.23	123,259.32	267,582.55	7.88%
कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलाप	244,347.80	1,441.01	245,788.81	7.24%
सभी इंजीनियरी	89,790.69	131,642.39	221,433.08	6.52%
व्यापार	182,718.54	12,324.72	195,043.26	5.74%

*ऋण एक्सपोजर में निवेश शामिल हैं

घ. आस्तियों की बची हुई संविदात्मक परिपक्वता का विश्लेषण:

(राशि ₹ मिलियन में)

परिपक्वता अवधि	आस्तियां				
	रिज़र्व बैंक व अन्य बैंकों के पास नकदी एवं जमा शेष	निवेश	अग्रिम	अचल आस्तियां एवं अन्य आस्तियां	कुल आस्तियां
1 दिन	35,542.64	163,372.47	7,658.35	14,418.12	220,991.59
2 से 7 दिन	79,596.45	150,522.10	13,341.74	540.81	244,001.10

परिपक्वता अवधि	आस्तियां				
	रिज़र्व बैंक व अन्य बैंकों के पास नकदी एवं जमा शेष	निवेश	अग्रिम	अचल आस्तियां एवं अन्य आस्तियां	कुल आस्तियां
8 से 14 दिन	1,689.27	2,015.42	11,259.48	2,797.22	17,761.39
15 से 30 दिन	1,641.25	14,707.21	8,006.11	1,090.80	25,445.37
31 दिन से 2 माह तक	2,072.11	15,424.83	13,472.13	5,874.70	36,843.77
2 माह से अधिक व 3 माह तक	6,401.82	7,074.04	40,273.15	3,679.75	57,428.76
3 माह से अधिक व 6 माह तक	7,557.74	3,925.72	40,494.33	12,120.90	64,098.69
6 माह से अधिक व 1 वर्ष तक	17,162.60	8,736.84	76,152.62	13,826.13	115,878.19
1 वर्ष से अधिक व 3 वर्ष तक	44,687.69	7,290.77	518,073.01	53,698.05	623,749.52
3 वर्ष से अधिक व 5 वर्ष तक	4,707.38	56,426.99	168,212.27	294,352.43	523,699.07
5 वर्ष से अधिक	11,278.04	501,229.91	570,961.19	189,478.35	1,272,947.49
कुल	212,336.99	930,726.30	1,467,904.38	591,877.26	3,202,844.94

ड. यथा 31 मार्च 2019 को अनर्जक आस्तियां :

(राशि ₹ मिलियन में)

विवरण	
कुल अग्रिम	1,820,972.80
निवल अग्रिम	1,467,904.40
31 मार्च 2019 को सकल एनपीए	
क. अवमानक	56,356.10
ख. संदिग्ध 1	104,699.30
ग. संदिग्ध 2	249,070.80
घ. संदिग्ध 3	74,503.70
ड. हानि	15,649.50
कुल	500,279.40
एनपीए प्रावधान*	351,904.90
निवल एनपीए	148,374.40

विवरण	
एनपीए अनुपात	
सकल अग्रिमों की तुलना में सकल एनपीए (%)	27.47%
निवल अग्रिमों की तुलना में निवल एनपीए (%)	10.11%

* एनपीए व एनसीएलटी प्रावधान पर एनपीवी हानि सहित

च. अनर्जक आस्तियों (एनपीए) में उतार-चढ़ाव:

(राशि ₹ मिलियन में)

विवरण (सकल एनपीए)	यथा 31 मार्च 2019 को
1 जनवरी 2019 को आरंभिक शेष	553,603.80
परिवर्धन	22,111.20
बट्टे खाते	64,550.40
कटौतियां	10,885.20
अंतिम शेष	500,279.40

छ. विशिष्ट एवं सामान्य एनपीए प्रावधानों में उतार-छढ़ाव:

(राशि ₹ मिलियन में)

विवरण	यथा 31 मार्च 2019 को
	विशिष्ट प्रावधान*
1 जनवरी 2019 को आरंभिक शेष	339,998.90
जोड़ें : अवधि के दौरान किए गए प्रावधान	81,931.80
घटाएं: प्रतिचक्रीय प्रावधानीकरण बफर में अंतरित	0.00
घटाएं: बट्टे खाते डाली गई राशि	64,550.40
घटाएं: अतिरिक्त प्रावधानों का पुनरांकन	5,475.30
अंतिम शेष	351,904.93

* एनपीए व एनसीएलटी प्रावधान पर एनपीवी हानि सहित

ज. बट्टे खाते डाली गई और वसूलियाँ जो सीधे आय विवरण में दर्ज की गई हैं : मार्च 2019 तिमाही के लिए ₹ 2047.89 मिलियन

झ. यथा 31 मार्च 2019 को अनर्जक निवेशों (एनपीआई) की स्थिति

(राशि ₹ मिलियन में)

विवरण	यथा 31 मार्च 2019
अनर्जक निवेशों (एनपीआई) की राशि	12,621.63
अनर्जक निवेशों के लिए धारित प्रावधानों की राशि	10,136.55

ज. निवेशों (बांड और डिबेंचरों सहित) पर मूल्यहास के लिए प्रावधानों का घट-बढ़ (तिमाही दर तिमाही आधार पर)

(राशि ₹ मिलियन में)

विवरण	यथा 31 मार्च 2019 को
1 जनवरी 2019 को आरंभिक शेष	62,458.86
अवधि के दौरान किए गए प्रावधान	8,757.40
अतिरिक्त प्रावधानों का बट्टे खाते डालना/ पुनरांकन	34,652.39
अंतिम शेष	36,563.87

ट. उद्योगवार एनपीए एवं प्रावधान का ब्योरा *

(राशि ₹ मिलियन में)

	यथा 31 मार्च 2019 को		मौजूदा अवधि के दौरान	
	सकल एनपीए	विशिष्ट प्रावधान (एनपीए)	विशिष्ट प्रावधान (एनपीए)	बट्टे खाते डाले गए
शीर्ष 5 उद्योगों में एनपीए और किए गए विशिष्ट प्रावधान	291,948.69	187,327.16	28,820.19	104,637.11

* उद्योगों में सकल ऋण एक्सपोजर के आधार पर चिह्नित उद्योग.

ठ. एनपीए एवं प्रावधान विश्लेषण की भौगोलिक स्थिति :

(राशि ₹ मिलियन में)

विवरण	यथा 31 मार्च 2019 को		
	देशी	विदेशी	कुल
सकल एनपीए	429,196.18	71,083.18	500,279.36
एनपीए के लिए विशिष्ट प्रावधान	312,177.99	39,726.94	351,904.93

तालिका डीएफ-4: ऋण जोखिम - मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन पोर्टफोलियो का प्रकटन:

बैंक पूंजी गणना के लिए अपने एक्सपोजरों पर जोखिम भार की गणना करने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट बाह्य रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रदान की गई रेटिंग का प्रयोग करता है. बासेल दिशानिर्देशों के अनुरूप बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे देशी ऋण रेटिंग एजेंसियों अर्थात् क्रिसिल, केयर, इक्रा, इंडिया रेटिंग्स, ब्रिकवर्क, स्क्यूटाई, इंफोमेरिक्स और अंतर्राष्ट्रीय ऋण रेटिंग एजेंसियों फिच, मूडीज तथा स्टैंडर्ड एंड पूअर्स द्वारा प्रदान की गई बाह्य रेटिंग का उपयोग करें. प्रदत्त रेटिंग का प्रयोग तुलन-पत्र में एवं तुलन-पत्र से इतर सभी पात्र एक्सपोजरों के लिए किया जाता है. केवल उन्हीं रेटिंग्स पर विचार किया जाता है जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं तथा रेटिंग एजेंसियों के मासिक बुलेटिन के अनुसार लागू हैं.

जोखिम भारिता के प्रयोजन हेतु पात्र होने के लिए बैंक की ऋण जोखिम एक्सपोजर की संपूर्ण राशि को बाह्य ऋण आकलन हेतु हिसाब में लिया जाता है. बैंक एक वर्ष या इससे कम की संविदात्मक परिपक्वता वाले एक्सपोजरों के लिए अल्पावधि रेटिंग तथा एक वर्ष से अधिक वाले एक्सपोजरों के लिए दीर्घावधि रेटिंग का प्रयोग करता है.

किसी कॉरपोरेट एक्सपोजर के लिए रेटिंग प्रदान करने और उपयुक्त जोखिम भार लागू करने की प्रक्रिया रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विनियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप है. जहाँ किसी कॉरपोरेट के लिए एक से अधिक रेटिंग उपलब्ध हैं, वहाँ दो रेटिंग उपलब्ध होने पर निम्नतर रेटिंग तथा तीन या अधिक रेटिंग होने पर द्वितीय निम्नतम रेटिंग लागू की जाती है. 3 प्रमुख जोखिम समूहों में ऋण जोखिम न्यूनीकरण एवं कटौती के पश्चात् बैंकिंग बही में आस्तियों की निवल बकाया राशि और गैर-निधि आधारित सुविधाओं का विश्लेषण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

(राशि ₹ मिलियन में)

जोखिम-भार	निवल एक्सपोजर
100% से कम	2,441,702.17
100% पर	421,158.73
100% से अधिक	292,367.49
पूँजी से कटौती	310.98
कुल	3,155,539.37

तालिका डीएफ-5 : ऋण जोखिम न्यूनीकरण : मानकीकृत दृष्टिकोणों का प्रकटन:

संपार्श्विक प्रतिभूति, उधारकर्ता द्वारा ऋण सुविधा को प्रतिभूत करने के लिए उधारदाता को प्रदान की गई एक अस्ति या अधिकार है। ऋण जोखिमों को कम करने के लिए बैंक अपने निवेशों के प्रति संपार्श्विक प्रतिभूति लेता है। बैंक के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति है जो संपार्श्विक प्रबंध और ऋण जोखिम न्यूनीकरण (सीआरएम) तकनीकों को कवर करती है। इसमें स्वीकार्य संपार्श्विक प्रतिभूतियों के बारे में मानदंड, ऐसे संपार्श्विकों के वर्गीकरण और मूल्यांकन के लिए कार्यप्रणाली और प्रक्रियाएं दी गई हैं। तुलन-पत्रीय नेटिंग उन ऋणों और जमाराशियों तक सीमित है जहां बैंक के पास अन्य निर्धारित शर्तों के अतिरिक्त विशिष्ट धारणाधिकार सहित वैध रूप से प्रवर्तनीय नेटिंग व्यवस्था है। यह नेटिंग उसी प्रतिपक्षकार की संपार्श्विक प्रतिभूतियों पर ऋणों के लिए है और निर्धारणीय नेटिंग व्यवस्था के अधीन है। बैंक के ऋण एक्सपोजरों की बचाव व्यवस्था (हेजिंग) के लिए वित्तीय तथा गैर-वित्तीय दोनों संपार्श्विक प्रतिभूतियों का इस्तेमाल किया जाता है। उधारकर्ता के प्रकार, जोखिम रूपरेखा तथा सुविधा को ध्यान में रखते हुए किसी उत्पाद के लिए उपयुक्त संपार्श्विक प्रतिभूति का निर्धारण किया जाता है। बैंक द्वारा स्वीकार की जानेवाली प्रमुख पात्र वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूतियों में नकदी, बैंक की स्वयं की जमाराशियां, स्वर्ण, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र, किसान विकास पत्र, घोषित अभ्यर्पण मूल्य के साथ जीवन बीमा पॉलिसियां और विभिन्न कर्ज प्रतिभूतियां शामिल हैं। गैर-वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूतियों में भूमि व भवन, संयंत्र एवं मशीनरी, स्टॉक, आदि शामिल हैं। तथापि, खुदरा पोर्टफोलियो के अंतर्गत संपार्श्विक प्रतिभूतियों को उत्पाद के प्रकार के अनुसार परिभाषित किया जाता है, जैसे आवास ऋण के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति आवासीय बंधक होगी और ऑटो ऋण के लिए यह वाहन होगी। अधिकांश पात्र वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूतियां, जहाँ बैंक ने सीआरएम तकनीक के अंतर्गत पूंजीगत अभिलाभ प्राप्त किया है, बैंक की स्वयं की सावधि जमाराशियों के रूप में हैं जो ऋण या बाजार जोखिम के अधीन नहीं हैं।

बैंक अपने ऋणों को सुरक्षित करने के लिए गारंटियों पर भी विचार करता है। तथापि, केवल उन्हीं गारंटियों पर विचार किया जाता है जो प्रत्यक्ष, सुस्पष्ट तथा बिना शर्त होती हैं। संप्रभु सरकारों, सरकारी संस्थाओं, बैंकों, प्राथमिक डीलरों, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों हेतु ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई), निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) तथा उच्च रेटिंग प्राप्त कॉरपोरेट संस्थाओं को बासेल दिशानिर्देशों में निर्धारित रूप में पूंजीगत अभिलाभ प्राप्त करने के लिए बैंक द्वारा पात्र गारंटीकर्ता माना जाता है। बैंक अपने सामने आनेवाले ऋण जोखिमों के प्रभाव को कम करने के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं तथा तकनीकों का प्रयोग करता है। ऋण जोखिम न्यूनीकरण (सीआरएम) एक ऐसा साधन है जो पात्र वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूति के मूल्य की सीमा तक इसकी पूंजी आवश्यकता की गणना करते समय, प्रतिपक्षी को दिए गए बैंक के ऋण एक्सपोजर को कम करने के लिए तैयार किया गया है। प्रतिपक्षी के ऋण एक्सपोजर को उपयुक्त मार्जिन लगाने के बाद पात्र वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूतियों के मूल्य द्वारा समायोजित किया जाता है। मूल्य में अस्थिरता का पता लगाने के लिए मार्जिन लागू किया जाता है जिसमें एक्सपोजरों और संपार्श्विक प्रतिभूति दोनों के लिए मुद्रा असंतुलन के कारण होनी वाली अस्थिरता भी शामिल है। पात्र गारंटियों के अंतर्गत पूंजी बचत का लाभ उठाने के लिए एक्सपोजर की राशि प्रतिभूत और अप्रतिभूत हिस्सों में बाँट दी जाती है। एक्सपोजर का प्रतिभूत हिस्सा गारंटीकर्ता के जोखिम भार को दर्शाता है, जबकि अप्रतिभूत हिस्सा बाध्यताधारी के जोखिम भार को दर्शाता है, बशर्ते कि बासेल दिशानिर्देशों में निर्धारित अपेक्षाओं को पूरा किया जाए।

सीआरएम तकनीक में शामिल बैंक का एक्सपोजर निम्नानुसार है :

(राशि ₹ मिलियन में)

विवरण	निधि आधारित	गैर-निधि आधारित*
पात्र वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूति में शामिल कुल एक्सपोजर	116,264.15	133,169.07
पात्र संपार्श्विक प्रतिभूति का लाभ लेने के बाद एक्सपोजर	34,369.14	102,330.72

* गैर-बाजार संबद्ध

रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार जहां सीआरएम तकनीक के रूप में कॉरपोरेट गारंटियों का प्रयोग किया गया वहां यथा दिनांक 31 मार्च 2019 को एक्सपोजर की राशि ₹ 55,306.41 मिलियन थी.

डीएफ-6 : प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर : मानकीकृत दृष्टिकोण का प्रकटन

गुणात्मक प्रकटन															
क)	बैंक के प्रतिभूतिकरण कार्यकलापों के संबंध में सामान्य गुणात्मक प्रकटन निम्नानुसार हैं :														
	<ul style="list-style-type: none"> प्रतिभूतिकरण कार्यकलाप के संबंध में बैंक का उद्देश्य उस सीमा सहित जहां तक ये कार्यकलाप अंतर्निहित प्रतिभूतिकृत ऋणों के ऋण जोखिम को बैंक से अलग अन्य संस्थाओं को अंतरित करते हैं. 	<p>बैंक ने 31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान किसी मानक ऋण को प्रतिभूतिकृत नहीं किया है. अतः ऋण जोखिम का अंतरण लागू नहीं है.</p> <p>तथापि, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल) के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी को पूरा करने के उद्देश्य से बैंक ने अतीत में पास थ्रू सर्टिफिकेट (पीटीसी) अर्थात् विभिन्न एनबीएफसी/ एमएफआई द्वारा प्रतिभूतिकृत आस्तियों में निवेश किया है.</p>													
	<ul style="list-style-type: none"> प्रतिभूतिकृत आस्तियों में निहित अन्य जोखिमों का स्वरूप 	<p>लागू नहीं, क्योंकि बैंक ने किसी मानक ऋण को प्रतिभूतिकृत नहीं किया है.</p> <p>पीटीसी में निवेश के मामले में अंतिम उधारकर्ताओं से वसूली गई राशि से चुकौती की जाती है. साथ ही, रेटिंग पर आधारित रेटिंग एजेंसी द्वारा तय किए अनुसार ऋण वृद्धि भी उपलब्ध है. यदि समूह में हानि का स्तर ऋण वृद्धि से अधिक हो जाता है, तो हानि को बैंक द्वारा वहन की जाती है.</p>													
	<ul style="list-style-type: none"> प्रतिभूतिकरण प्रक्रिया में बैंक द्वारा निभाई जाने वाली विभिन्न भूमिकाएं और इनमें से प्रत्येक में बैंक की सहभागिता की सीमा का उल्लेख ; 	<p>बैंक ने निवेशक तथा प्रतिभूतिकरण में ऋण वृद्धि और चलनिधि सुविधा प्रदाता की भूमिका अदा की है. यथा 31 मार्च 2019 तक उपर्युक्त श्रेणी में एक्सपोजर निम्नलिखित हैं :</p> <p style="text-align: right;">(राशि मिलियन ₹)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र.सं.</th> <th>अदा की गई भूमिका</th> <th>लेन-देनों की संख्या</th> <th>अंतर्निहित राशि</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>निवेशक (बकाया)</td> <td>22</td> <td>11,379.59</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ऋण वृद्धि प्रदाता (द्वितीय हानि सुविधा/ चलनिधि सुविधा)</td> <td>शून्य</td> <td>शून्य</td> </tr> </tbody> </table>	क्र.सं.	अदा की गई भूमिका	लेन-देनों की संख्या	अंतर्निहित राशि	1	निवेशक (बकाया)	22	11,379.59	2	ऋण वृद्धि प्रदाता (द्वितीय हानि सुविधा/ चलनिधि सुविधा)	शून्य	शून्य	
क्र.सं.	अदा की गई भूमिका	लेन-देनों की संख्या	अंतर्निहित राशि												
1	निवेशक (बकाया)	22	11,379.59												
2	ऋण वृद्धि प्रदाता (द्वितीय हानि सुविधा/ चलनिधि सुविधा)	शून्य	शून्य												
	<ul style="list-style-type: none"> प्रतिभूतिकरण एक्सपोजरों के ऋण तथा बाजार जोखिम में परिवर्तनों की निगरानी करने के लिए लागू प्रक्रियाओं का विवरण 	<p>बैंक ऋण नीति के अनुसार वसूली निष्पादन, चुकौती तथा समय-पूर्व भुगतान, ऋण वृद्धि का उपयोग, मार्क-टु-मार्केट, प्रतिभूतिकरण के निवेशित पोर्टफोलियो में पूल की समुचित सावधानी और समीक्षा रेटिंग की आवधिक निगरानी करता है.</p>													
	<ul style="list-style-type: none"> प्रतिभूतिकरण एक्सपोजरों के अंतर्गत प्रतिधारित जोखिमों को कम करने के लिए ऋण जोखिम न्यूनीकरण के प्रयोग को नियंत्रित करने संबंधी बैंक की नीति का विवरण. 	<p>बैंक रिजर्व बैंक के दिनांक 7 मई 2012 एवं 21 अगस्त 2012 के परिपत्र में वर्णित अनुसार प्रतिभूतिकृत कागजात/ पीटीसी में निवेशों पर रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों का अनुपालन करता है. बैंक रेटिंग एजेंसियों द्वारा निर्धारित रूप में पर्याप्त ऋण वृद्धि के साथ प्रतिभूतिकृत आस्तियां अर्जित करता है.</p>													

ख)	प्रतिभूतिकरण कार्यकलापों के लिए बैंक की लेखा नीतियों का सारांश जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं :	
	<ul style="list-style-type: none"> लेन-देनों को बिक्री माना जाता है या वित्तपोषण. 	बैंक ने किसी मानक ऋण को प्रतिभूतिकृत नहीं किया है. तथापि इसने एनबीएफसी/एमएफआई से लेनदारियों के अर्जन के माध्यम से निवेश किया है जिसे बैंक की बहियों में निवेश माना जाता है.
	<ul style="list-style-type: none"> प्रतिधारित या क्रय की गई स्थितियों का मूल्यांकन करने में प्रयुक्त विधियां तथा मुख्य धारणाएं (निविष्टियों सहित) 	प्रतिभूतिकृत कागजात/ पीटीसी में बैंक के निवेश को बिक्री के लिए उपलब्ध श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है और उक्त का मूल्यांकन रिजर्व बैंक/ एफआईएमएमडीए दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है.
	<ul style="list-style-type: none"> गत अवधि से विधियों तथा मुख्य धारणाओं में परिवर्तन और परिवर्तनों का प्रभाव 	कोई परिवर्तन नहीं
	<ul style="list-style-type: none"> उन व्यवस्थाओं के लिए तुलन- पत्र में देयताओं को दर्शाने के लिए नीतियां जो बैंक से प्रतिभूतिकृत आस्तियों के लिए वित्तीय सहायता की अपेक्षा कर सकती हैं. 	बैंक के पास आज की तारीख में कोई प्रत्यक्ष प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर नहीं है. तथापि, अतीत में अन्य बैंकों द्वारा किए गए पीटीसी लेनदेनों के लिए ऋण संवर्धन के रूप में बैंक द्वारा उपलब्ध कराई गई बैंक गारंटी (बीजी) को बैंक की बही में आकस्मिक देयताओं के रूप में शामिल किया जाता है और तदनुसार लेखांकन कार्रवाई की जाती है.
ग)	बैंकिंग बही में, प्रतिभूतिकरण के लिए प्रयुक्त बाह्य ऋण मूल्यांकन संस्थाओं (ईसीएआई) के नाम और प्रतिभूतिकरण ऋण निवेश का प्रकार जिसके लिए हर एजेंसी का प्रयोग किया जाता है.	प्रतिभूतिकृत एक्सपोजरों की क्रिसिल, केयर, इक्रा तथा इंडिया रेटिंग्स एवं रिसर्च प्रा. लि. द्वारा बाह्य रूप से रेटिंग की जाती है.

बैंकिंग बही में बैंक के प्रतिभूतिकरण कार्यकलापों के संबंध में मात्रात्मक प्रकटन निम्नानुसार हैं :

घ)	बैंक द्वारा प्रतिभूतिकृत एक्सपोजरों की कुल राशि	शून्य
ङ)	प्रतिभूतिकृत एक्सपोजरों के लिए, एक्सपोजर प्रकार द्वारा खंडित वर्तमान अवधि के दौरान बैंक द्वारा अभिनिर्धारित हानि	शून्य
च)	एक वर्ष के भीतर प्रतिभूतिकृत की जाने वाली आस्तियों की राशि	शून्य
छ)	इनमें से प्रतिभूतिकरण से पूर्व एक वर्ष के भीतर उत्पन्न हुई आस्तियों की राशि.	लागू नहीं
ज)	प्रतिभूतिकृत एक्सपोजरों की कुल राशि (एक्सपोजर के प्रकार के अनुसार) और एक्सपोजर प्रकार के अनुसार बिक्री पर दर्शाया नहीं गया अभिलाभ या हानि.	शून्य
झ)	निम्न की कुल राशि: <ul style="list-style-type: none"> एक्सपोजर प्रकार द्वारा प्रतिधारित या खंडों में खरीदे गए तुलन पत्र में शामिल प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर और 	शून्य
	<ul style="list-style-type: none"> एक्सपोजर प्रकार द्वारा तुलन पत्र में शामिल नहीं किए गए विभक्त प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर. 	शून्य
ञ)	<ul style="list-style-type: none"> प्रतिधारित या खरीदे गए प्रतिभूतिकरण एक्सपोजरों की कुल राशि और संबद्ध पूंजी प्रभार, एक्सपोजरों में विभक्त और प्रत्येक विनियामक पूंजी दृष्टिकोण के लिए अलग-अलग जोखिम भार दायरे में पुनः विभक्त 	शून्य

	<ul style="list-style-type: none"> एक्सपोजर जिन्हें टीयर I पूंजी से पूरी तरह से घटाया गया है, कुल पूंजी में से घटाए गए ऋण वृद्धिकारी आई/ओ बकाया लिखत और कुल पूंजी में से घटाए गए अन्य एक्सपोजर. 	शून्य																
ट्रेडिंग बही में बैंक के प्रतिभूतिकरण कार्यकलापों के संबंध में मात्रात्मक प्रकटन निम्नानुसार हैं :																		
ट)	बैंक द्वारा प्रतिभूतिकृत ऋणों की कुल राशि जिनके लिए बैंक ने कुछ ऋण जोखिमों को अपने पास रखा है और जो ऋण के प्रकार के अनुसार बाजार जोखिम दृष्टिकोण के अधीन हैं.	बैंक द्वारा किसी मानक ऋण को प्रतिभूतिकृत नहीं किया गया है.																
ठ)	निम्न की कुल राशि: <ul style="list-style-type: none"> एक्सपोजर प्रकार द्वारा प्रतिधारित या खंडों में खरीदे गए तुलन पत्र में शामिल प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर, और 	बैंक ने 31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान पास-थ्रू-सर्टिफिकेटों (पीटीसी) अर्थात् विभिन्न एनबीएफसी/ एमएफआई द्वारा प्रतिभूतिकृत आस्तियों में ₹ 7657.20 मिलियन राशि का निवेश किया है. यथा 31 मार्च 2019 को कुल बकाया पीटीसी पोर्टफोलियो ₹ 11,379.59 मिलियन था.																
	<ul style="list-style-type: none"> एक्सपोजर प्रकार द्वारा तुलन पत्र में शामिल नहीं किए गए विभक्त प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर. 	शून्य																
ड)	निम्न के लिए अलग-अलग प्रतिधारित या खरीदे गए प्रतिभूतिकरण एक्सपोजरों की कुल राशि: <ul style="list-style-type: none"> विशिष्ट जोखिम के लिए व्यापक जोखिम उपाय के अधीन प्रतिधारित या खरीदे गए प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर; तथा विभिन्न जोखिम भार दायरों में विभक्त विशिष्ट जोखिम के लिए प्रतिभूतिकरण ढाँचे के अधीन प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर 	यथा 31 मार्च 2019 को कुल बकाया पीटीसी पोर्टफोलियो ₹ 11,379.59 मिलियन था. तथापि 31 मार्च 2019 को समाप्त छमाही में बैंक ने ₹ 7,657.20 मिलियन के पीएसएल पोर्टफोलियो में निवेश/ क्रय किया है. जोखिम भार दायरों के साथ प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर:																
(राशि ₹ मिलियन में)																		
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>क्रम</th> <th>राशि</th> <th>रेटिंग</th> <th>जोखिम भार</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>3,557.34</td> <td>एएए</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>3,001.07</td> <td>एए</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>4,821.18</td> <td>ए</td> <td>50%</td> </tr> </tbody> </table>	क्रम	राशि	रेटिंग	जोखिम भार	1	3,557.34	एएए	20%	2	3,001.07	एए	30%	3	4,821.18	ए	50%
क्रम	राशि	रेटिंग	जोखिम भार															
1	3,557.34	एएए	20%															
2	3,001.07	एए	30%															
3	4,821.18	ए	50%															
ढ)	निम्न की कुल राशि : <ul style="list-style-type: none"> प्रतिभूतिकरण एक्सपोजरों के लिए पूंजी अपेक्षाएं, अलग-अलग जोखिम भार दायरे में विभक्त प्रतिभूतिकरण ढाँचे के अधीन 																	
(राशि ₹ मिलियन में)																		
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>क्रम</th> <th>राशि</th> <th>रेटिंग</th> <th>जोखिम भार</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>3,557.34</td> <td>एएए</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>3,001.07</td> <td>एए</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>4,821.18</td> <td>ए</td> <td>50%</td> </tr> </tbody> </table>	क्रम	राशि	रेटिंग	जोखिम भार	1	3,557.34	एएए	20%	2	3,001.07	एए	30%	3	4,821.18	ए	50%
क्रम	राशि	रेटिंग	जोखिम भार															
1	3,557.34	एएए	20%															
2	3,001.07	एए	30%															
3	4,821.18	ए	50%															
	<ul style="list-style-type: none"> प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर जिन्हें टीयर I पूंजी से पूरी तरह से घटाया गया है, कुल पूंजी में से घटाए गए ऋण वृद्धिकारी बकाया लिखत और कुल पूंजी में से घटाए गए अन्य एक्सपोजर 	शून्य																

डोएफ-7: ट्रेडिंग बही में बाजार जोखिम:

बाजार जोखिम बाजार को प्रभावित करने वाले कारकों जैसे ब्याज दरों, इक्विटी दरों, विनिमय दरों और पण्य दरों में प्रतिकूल उतार-चढ़ाव तथा अस्थिरता के कारण निवेश के मूल्य में होने वाली हानि का जोखिम है. बैंक को स्वयं के साथ-साथ ग्राहकों की ओर से किए जाने वाले ट्रेडिंग कार्यकलापों के कारण बाजार जोखिमों का सामना करना पड़ता है. बैंक अपनी समग्र जोखिम प्रबंध व्यवस्था के अभिन्न भाग के रूप में इन कार्यकलापों से होने वाली वित्तीय एक्सपोजरों की निगरानी व प्रबंधन करता है. यह प्रणाली वित्तीय बाजारों के अप्रत्याशित स्वरूप पर नजर रखने के साथ-साथ शेयरधारकों के धन पर पड़ने वाले किसी प्रतिकूल प्रभाव को न्यूनतम करने का प्रयास करती है.

बैंक ने आस्ति देयता प्रबंध (एएलएम) नीति, बाजार जोखिम नीति, निवेश नीति और डेरिवेटिव नीति जैसी नीतियां तैयार की हैं जो कि बोर्ड द्वारा अनुमोदित हैं। इन नीतियों से यह सुनिश्चित किया जाता है कि प्रतिभूतियों, विदेशी मुद्रा विनिमय और डेरिवेटिव के परिचालन उचित व मान्य कारोबार प्रथा के अनुसार किए जाते हैं और ये वर्तमान विनियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं। इन नीतियों में वित्तीय लिखतों के लेन-देन के संबंध में सीमाएं तय की गई हैं। प्रक्रिया एवं उत्पाद नवोन्मेषों के अलावा कारोबार आवश्यकताओं, आर्थिक परिवेश और कानूनों में होने वाले परिवर्तनों को शामिल करने के लिए इन नीतियों की आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है।

बैंक की आस्ति देयता प्रबंध समिति (एल्को) में वरिष्ठ कार्यपालक शामिल हैं और इसकी नियमित रूप से बैठकें होती हैं ताकि तुलन पत्र जोखिमों का समन्वित तरीके से प्रबंधन किया जा सके। एल्को चलनिधि, ब्याज दर व विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम जैसे बाजार जोखिमों के प्रबंध पर विशेष ध्यान देती है। ब्याज दरों में घट-बढ़ से बैंक की निवल ब्याज आय (एनआईआई) से पड़ने वाले प्रभाव के जरिए ब्याज दर संवेदनशीलता विश्लेषण का आकलन किया जाता है। बैंक बाजार जोखिम एवं डेरिवेटिव नीति के माध्यम से ऐसे ट्रेडिंग जोखिमों की पहचान करता है जिनका प्रबंधन किया जाना हो। इस नीति के अंतर्गत लेखा बही में जोखिम प्रबंध के उपयुक्त स्तर के लिए आवश्यक संगठनात्मक स्वरूप, विभिन्न साधनों, पद्धतियों, प्रक्रियाओं आदि को भी निर्धारित किया गया है। बैंक द्वारा अपनाए जाने वाले प्रमुख जोखिम प्रबंधनों में ट्रेडिंग पोर्टफोलियो का मार्क टु मार्केट (एमटीएम) प्रबंध, पीवी01, संशोधित अवधि, हानि रोक, ग्रीक लिमिट्स, संभाव्य भावी ऋण सहायता, दबाव परीक्षण आदि शामिल हैं।

निवेश नीति बाजार उतार-चढ़ाव और रिजर्व बैंक द्वारा इस संबंध में जारी विभिन्न परिपत्रों को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। निवेश नीति में लिखतों में निवेश, ऐसे निवेशों का उद्देश्य तथा बैंक से लेन-देन के लिए पात्र ग्राहकों के बारे में मानदंड निर्धारित किए गए हैं।

बैंक अपनी बाजार जोखिम का निम्नलिखित व्यापक उद्देश्यों से प्रबंध करता है:

1. व्यापार बही आस्तियों, ब्याज दरों व मुद्राओं से सम्बद्ध जोखिमों का निर्धारण।
2. जोखिम प्रबंधन नीतियों को विनिर्मित कर कार्यान्वयन करना।
3. जोखिम वहाँ क्षमता का मूल्यांकन तथा कारोबार के संदर्भ में उपयुक्त सीमा तय करना।
4. निगरानी व नियंत्रण प्रणालियाँ स्थापित करना।
5. जोखिम में कमी लाते हुए परिचालन लागत कम करना।
6. जोखिम स्तरों की पुनर्समीक्षा करना।
7. जोखिम समायोजित कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन

बैंक में अलग से एक बाजार जोखिम समूह (एमआरजी)/ मध्यम कार्यालय है, जोकि ट्रेजरी परिचालनों में बाजार जोखिम की पहचान, मूल्यांकन, निगरानी व रिपोर्टिंग के लिए और अपवाद की स्थितियों, यदि कोई हों, की जानकारी देने के लिए उत्तरदायी है। यह समूह बाजार जोखिम को मापने के लिए नीतियों व पद्धतियों में परिवर्तन की भी सिफारिश करता है। इस समूह की प्रमुख रणनीतियां व प्रक्रियाएं निम्नानुसार हैं:

1. प्रत्यायोजन: ट्रेजरी परिचालनों के लिए अधिकारों का उपयुक्त प्रत्यायोजन किया गया है। निवेश संबंधी निर्णय बोर्ड की निवेश समिति के पास निहित हैं। एमआरजी संबंधित नीतियों में निर्धारित विभिन्न ऋण सीमाओं की निगरानी करता है।
2. नियंत्रण: सिस्टम में पर्याप्त डेटा एकीकरण आधारित नियंत्रण मौजूद है। इन नियंत्रणों का प्रयोग लेखा परीक्षा के लिए भी किया जाता है।
3. अपवाद संचालन प्रक्रिया: नीतियों के अंतर्गत तय की गई ऋण सीमाएं सिस्टम में शामिल कर ली गई हैं जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसे अपवादों को न्यूनतम रखने हेतु लागू किया जा रहा है। ऋण सीमाओं के उल्लंघन/ अपवाद, यदि कोई हो, का विश्लेषण किया जाता है और प्रत्यायोजित प्राधिकारियों से अभिपुष्ट कराया जाता है।

एमआरजी, वरिष्ठ प्रबंधन और बोर्ड की समितियों के सदस्यों को फॉरेक्स, निवेश व डेरिवेटिव उत्पाद संबंधी जोखिमों के बारे में आवधिक रूप से रिपोर्ट देता है। बैंक रिपोर्टिंग अपेक्षाओं के अनुसार विनियामकों को भी रिपोर्टें प्रस्तुत करता है। बैंक की जोखिम क्षमता के आधार पर जोखिम मैट्रिक्स के संबंध में सीमाएं निर्धारित की जाती हैं जिनकी आवधिक आधार पर निगरानी की जाती है।

यथा 31 मार्च 2019 को बाजार जोखिमों के लिए पूंजी प्रभार का समूहन

(राशि ₹ मिलियन में)

	जोखिम श्रेणी	पूंजी प्रभार
क	जोखिम विशेष के कारण पूंजी प्रभार	5,039.69
i)	ब्याज दर संबंधी लिखतों पर	1,586.46
ii)	इक्विटी पर	3,453.23
iii)	डेरिवेटिव पर	-
ख	सामान्य बाजार जोखिम के कारण पूंजी प्रभार	10,457.49
i)	ब्याज दर संबंधी लिखतों पर	8,654.05
ii)	इक्विटी पर	1,434.41
iii)	विदेशी मुद्रा पर	360.00
iv)	बहुमूल्य धातुओं पर	-
v)	डेरिवेटिव पर (फॉरेक्स विकल्प)	9.03
	व्यापारिक बही पर कुल पूंजी प्रभार (क + ख)	15,497.18
	व्यापारिक बही पर कुल जोखिम भारित आस्तियां	19,371.75

तालिका डीएफ-8: परिचालनगत जोखिम

परिचालनगत जोखिम का अर्थ हानि का जोखिम है जो आंतरिक कार्यकलापों, व्यक्तियों एवं पद्धतियों में खामियों या असफलताओं के कारण या बैंक की कारोबारी गतिविधियों पर बाहरी घटनाओं के प्रभाव के कारण होता है। इसमें विधिक जोखिम तो शामिल हैं, किन्तु रणनीतिक और प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम शामिल नहीं हैं।

परिचालनगत जोखिम प्रबंधन संरचना

बैंक के पास सुपरिभाषित परिचालनगत जोखिम और कारोबार निरंतरता प्रबंधन नीति है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य बैंकिंग परिचालनों में निहित परिचालन जोखिमों की पहचान और निर्धारण करना तथा इन जोखिमों की निगरानी और इन्हें कम करने के लिए क्षमताओं, साधनों, प्रणालियों और प्रक्रियाओं का विकास करना है।

बैंक के पास एक सुदृढ़ परिचालन जोखिम प्रबंध संरचना है और इसने परिचालनगत जोखिम के प्रभावी प्रबंधन के लिए निदेशक मंडल, बोर्ड की जोखिम प्रबंध समिति (आरएमसी) और परिचालनगत जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) से युक्त एक समर्थकारी संगठनात्मक संरचना की स्थापना की है। परिचालनगत जोखिम प्रबंधन कार्यकलापों पर समीक्षा रिपोर्टें ओआरएमसी एवं बोर्ड की आरएमसी को आवधिक आधार पर प्रस्तुत की जाती हैं।

वर्तमान में, बैंक परिचालनगत जोखिम के लिए पूंजी प्रभार की गणना हेतु बुनियादी संकेतक दृष्टिकोण का अनुसरण कर रहा है। बैंक अपनी परिचालनगत जोखिम प्रबंधन प्रणाली व प्रक्रिया में और सुधार करने के लिए समयबद्ध तरीके से संगठित प्रयास कर रहा है। बैंक ने बैंक के भीतर परिचालनगत जोखिमों के मूल्यांकन एवं निगरानी के लिए मुख्य जोखिम सूचक तथा जोखिम एवं नियंत्रण स्व-मूल्यांकन ढांचा स्थापित किया है। बैंक ने परिचालनगत जोखिमों के प्रबंधन के लिए व्यापक परिचालन जोखिम मूल्यांकन प्रणाली (कोर) की व्यवस्था की है। बैंक कोर प्रणाली के जरिए परिचालनगत हानि संबंधी आंकड़ों का नियमित रूप से संग्रहण कर रहा है तथा रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार इन हानियों को विभिन्न कारोबारी श्रृंखलाओं तथा हानि प्रकारों के तहत वर्गीकृत कर रहा है। प्रथम स्तरीय सुरक्षा को अधिक मजबूती प्रदान करने के लिए परिचालनगत स्तरों पर कार्यरत अधिकारियों को निरंतर जागरूक करने हेतु परिचालनगत जोखिम प्रबंधन पर नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ओआरएम अनुभाग परिचालनगत जोखिम हानियों तथा पूंजी और लाभ पर उसके प्रभाव के लिए दवाब जांच अभ्यास की योजना तैयार कर रहा है।

कारोबार निरंतरता प्रबंधन (बीसीएम) के अनुपालन हेतु बैंक के पहल कार्य

मानव जीवन एवं बैंक की आस्तियों की सुरक्षा तथा व्यवधान/ आपदा के दौरान निर्बाध बैंकिंग सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए बैंक ने अपने विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यों के लिए एक सुपरिभाषित बीसीएम व्यवस्था लागू की है, जो विनियामक आवश्यकताओं को भी पूरा करती है।

बीसीएम में कारोबार निरंतरता योजना (बीसीपी) और आपदा प्रबंधन योजना (डीएमपी) शामिल हैं। इन बीसीएम दस्तावेजों में, अन्य बातों के साथ-साथ, कारोबार व्यवधान/ आपदा की स्थिति में तौर-तरीके और परिणामी सुधार रणनीतियाँ, योजनाएँ शामिल हैं। व्यवधान की विभिन्न स्थितियों में इन योजनाओं की आघात सहनीयता का प्रायोगिक अभ्यास, आपदा प्रबंधन अभ्यास, महत्वपूर्ण आईटी एप्लिकेशनों के लिए समग्र आपदा प्रबंधन अभ्यास और बीसीपी परीक्षण अभ्यासों के जरिए निरंतर परीक्षण किया जाता है। साथ ही बैंक की कारोबार निरंतरता प्रबंधन प्रणाली (बीसीएमएस) आईएसओ 22301:2012 अनुपालक है। एक सशक्त और प्रभावी बीसीएम के जरिए बैंक को अपनी सेवा में निरंतरता और ग्राहकों को संतुष्टि प्रदान करने में सुविधा होगी। प्रणाली की असफलता के जोखिम को कम करने के लिए बैंक ने चेन्नई में एक आपदा प्रबंधन (डीआर) साइट तथा मुंबई के समीप भी डीआर साइट की स्थापना की है। बैंक आपदा प्रबंधन साइट की क्षमता परीक्षण के लिए आवधिक रूप से आपदा प्रबंधन ड्रिल अभ्यासों का आयोजन करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आइ-डीएबी के माध्यम से व्यवधान संबंधी घटनाओं एवं बीसीएम कार्यकलापों की रिपोर्टिंग स्वचालित कर दी गई है।

तालिका डीएफ-9: बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी) से आशय ब्याज दर में होने वाले प्रतिकूल उतार-चढ़ाव के कारण बैंक के अर्जन तथा आस्तियों और देयताओं के आर्थिक मूल्य में पड़ने वाले संभाव्य प्रभाव से है।

ब्याज दर जोखिम प्रबंधन के महत्व को समझते हुए बैंक की आस्ति देयता समिति (एएलसीओ) ब्याज दर जोखिम एक्सपोजर की नियमित निगरानी करती है तथा जमाराशियों व अग्रिमों की संरचना व वृद्धि, जमाराशियों व अग्रिमों के मूल्य-निर्धारण तथा मुद्रा बाजार परिचालन व निवेश बहियों आदि के प्रबंधन के लिए उचित कदम उठाने का सुझाव/ निर्देश देती है, ताकि निर्धारित आंतरिक सीमाओं के भीतर ही आईआरआरबीबी का प्रबंधन किया जा सके।

ब्याज दर में 100 आधार बिंदुओं के समानांतर परिवर्तन का प्रभाव - (समयावधि: 1 वर्ष)		
	परिदृश्य	प्रभाव (₹ मिलियन)
जोखिम पर अर्जन (ईएआर)	100 बीपीएस तक बढ़ोतरी	809.70
	100 बीपीएस तक कमी	(809.70)
इक्विटी के आर्थिक मूल्य (ईवीई))	100 बीपीएस तक बढ़ोतरी	11612.21
	100 बीपीएस तक कमी	(11612.21)

तालिका डीएफ-10: प्रतिपक्षकार ऋण जोखिम से संबंधित एक्सपोजरों के लिए सामान्य प्रकटन :

बैंक किसी आस्ति के संबंध में प्रतिपक्षकार के साथ जोखिम आकलन को सुनिश्चित करने हेतु एक संरचित प्रक्रिया का पालन करता है, जिसमें निधि आधारित और गैर- निधि आधारित दोनों सुविधाओं को शामिल किया जाता है। ऋण नीति, प्रतिपक्षकार बैंक नीति, बाजार जोखिम व डेरिवेटिव नीति, निवेश नीति, संपार्श्विक प्रबंधन नीति एवं देश जोखिम नीति के रूप में समुचित नीतिगत संरचना बनाई गई है, जोकि प्रतिपक्षकार ऋण जोखिम (सीसीआर) के प्रबंधन के लिए मार्गदर्शी सिद्धांतों की रूपरेखा तैयार करती है। विनियामक दिशानिर्देशों के अंतर्गत बैंक की ऋण नीति के तहत बैंक की पूंजी निधि में एकल उधारकर्ता और किसी समूह के ऋण के संबंध में प्रतिपक्षकार ऋण सहायता सीमाओं की विस्तृत रूपरेखा निर्धारित की गई है। साथ ही, निवल मालियत, कुल वचनबद्ध सहायता राशियों (टीसीई), कुल बकाया सहायता राशियों, अग्रिमों आदि के संबंध में भी विभिन्न आंतरिक प्रावधानों को विवेकपूर्ण तरीके से लागू किया गया है। पूंजी बाजार खंड पर लागू विनियामक मानदंडों के साथ-साथ खंडगत सीमाओं के रूप में विवेकपूर्ण सीमाएं निर्धारित की गई हैं। वर्तमान में बैंक द्वारा सीसीआर पर पूंजी की गणना मानकीकृत दृष्टिकोण के आधार पर तथा बासेल III के अंतर्गत विनियमों के अनुसार की जा रही है।

बैंक के व्यापक रेटिंग मॉड्यूल में कई रेटिंग मॉडल शामिल हैं, जो प्रतिपक्षकार की आंतरिक ऋण रेटिंग में सहायता प्रदान करते हैं। लागू शर्तों एवं निबंधनों के साथ ग्राहक की उपयुक्तता और अनुकूलता के संबंध में उत्पाद विशिष्ट दिशानिर्देश भी निर्धारित किए गए हैं। बैंक में चुनिन्दा प्रतिपक्षकार बैंकों के साथ एक ऋण सहायता

एनेक्स (सीएसए) व्यवस्था भी है। सीएसए उन शर्तों को परिभाषित करता है जिनके अंतर्गत संपार्श्विक प्रतिभूतियों को डेरिवेटिव स्थितियों से उत्पन्न होने वाले ऋण जोखिमों को कम करने के लिए डेरिवेटिव प्रतिपक्षों में अंतरित किया जाता है। संपार्श्विक प्रबंधन की प्रक्रिया में गतिविधियों के समग्र कार्य-पहलुओं को इसके स्वीकार करने से लेकर जरूरत के समय इसकी विधिक प्रयोज्यता की प्रक्रिया तक को कवर किया जाता है। ऋण रिजर्व तैयार करने के लिए बैंक कई प्रकार की वैकल्पिक तकनीकों को संपोषित करता है, जिनमें एस्क्रो तंत्र व इस पर प्रभार लगाना, ऋण चुकौती रिजर्व खाते (डीएसआरए) को सक्रिय करना, बैंक के पास जमाराशियों पर ग्रहणाधिकार लगाना, उच्च मार्जिन की शर्तें लगाना, वैयक्तिक एवं तृतीय पक्ष की गारंटी प्राप्त करना आदि शामिल हैं। बैंक ऋण फिल्टर मानकों और उत्पाद संबंधी दिशा-निर्देशों द्वारा गलत जोखिम सहायता के मामलों को पकड़ता है। ऋण डेरिवेटिव हेज का कल्पित मूल्य और विभिन्न प्रकार के एक्सपोजरों के जरिए वर्तमान ऋण एक्सपोजरों का विवरण:

(राशि ₹ मिलियन में)

डेरिवेटिव	कल्पित	वर्तमान एक्सपोजर
ब्याज दर स्वैप	121,725.87	2,158.17
मुद्रा स्वैप	62,384.72	9,936.12
मुद्रा विकल्प	9,586.67	384.26
वायदा	556,358.29	22,990.19
बैंक बही (डीआईएफसी सहित)	कल्पित	वर्तमान एक्सपोजर
ब्याज दर स्वैप	48,408.50	484.09
मुद्रा स्वैप	263.77	78.86

तालिका डीएफ-11: पूंजी का संघटन

(राशि ₹ मिलियन में)

सामान्य इक्विटी टीयर 1 पूंजी : लिखत एवं रिजर्व		
1	सामान्य शेयर पूंजी के लिए अर्ह प्रत्यक्ष रूप से निर्गमित और संबंधित स्टॉक अधिशेष (शेयर प्रीमियम)	507,494.91
2	प्रतिधारित उपाजन	-326,024.13
3	संचित अन्य व्यापक आय (और अन्य आरक्षित निधियाँ)	158,535.96
4	सीईटी 1 पूंजी से चरणबद्ध रूप से समापन किए जाने के अधीन प्रत्यक्ष रूप से निर्गमित पूंजी (केवल गैर संयुक्त पूंजी कंपनियों के लिए लागू)	-
5	सहायक कंपनियों द्वारा जारी तथा अन्य पक्षों द्वारा धारित सामान्य शेयर पूंजी (सीईटी 1 समूह में अनुमत राशि)	-
	आबंटन के विचाराधीन होने के कारण सीईटी1 के रूप में अनुमत शेयर आवेदन राशि	-
6	विनिमायक कटौतियों से पूर्व सामान्य इक्विटी टीयर 1 पूंजी	340,006.73
सामान्य इक्विटी टीयर 1 पूंजी : विनिमायक समायोजन		
7	विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन	-
8	साख (संबद्ध कर देयता को घटाकर)	-
9	अमूर्त आस्तियां (संबंधित कर देयता को घटाकर)	754.52
10	संचित हानियों से जुड़ी हुई आस्थगित कर आस्तियां	71,016.40
11	नकदी- प्रवाह बचाव हेज रिजर्व	-

(राशि ₹ मिलियन में)

12	प्रत्याशित हानियों की तुलना में प्रावधानों में कमी	-
13	बिक्री पर प्रतिभूतिकरण अभिलाभ	-
14	उचित रूप से मूल्यांकित देयताओं पर अपने ऋण जोखिम में हुए परिवर्तनों के परिणामस्वरूप अभिलाभ एवं हानियाँ	-
15	सुनिश्चित लाभ पेंशन निधि निवल आस्तियां	-
16	स्वयं के शेयरों में निवेश (यदि प्रदत्त पूंजी पहले रिपोर्ट किए गए तुलन पत्र में समंजित न की गई हो)	-
17	सीईटी 1 पूंजी लिखतों में पारस्परिक प्रतिधारिता	70.90
	बैंकों की समायोजित सीईटी1 पूंजी के 10% तक सीईटी 1 पूंजी का डीटीए निर्धारण	25,115.56
18	ऐसी बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा संस्थाओं की पूंजी में निवेश जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हों, पात्र अधिविक्रय स्थितियों को घटाकर, जहां बैंक के पास निर्गमित शेयर पूंजी का 10% से अधिक धारिता नहीं है (10% की प्रारंभिक राशि से अधिक)	-
19	वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी ऐसी सीईटी 1 पूंजी लिखतों में उल्लेखनीय पूंजी निवेश जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हों (10 % की प्रारंभिक राशि से अधिक)	-
20	बंधक सर्विसिंग अधिकार (10% की प्रारंभिक राशि से अधिक)	-
21	अस्थाई अंतरों से उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियां	125,867.15
22	15% की प्रारंभिक सीमा से ऊपर की राशि	-
23	इसमें से: वित्तीय संस्थाओं के सामान्य स्टॉक में उल्लेखनीय निवेश	-
24	इसमें से: बंधक सर्विसिंग अधिकार	-
25	इसमें से: अस्थाई अंतरों से उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियां	125,867.15
26	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (26क+26ख+26ग+26घ)	310.98
26क	इसमें से: असमेकित सहायक बीमा संस्थाओं की इक्विटी पूंजी में निवेश	-
26ख	इसमें से: असमेकित गैर-वित्तीय सहायक संस्थाओं की इक्विटी पूंजी में निवेश	310.98
26ग	इसमें से: उन बहुलांश स्वामित्ववाली वित्तीय संस्थाओं की इक्विटी पूंजी में कमी जिनका बैंक के साथ समेकन नहीं हुआ है	-
26घ	इसमें से: अपरिशोधित पेंशन निधि व्यय	-
	अन्य विनियामकीय समायोजन (अनकदी निवेश स्थिति)	204.00
27	कटौतियों को कवर करने हेतु अपर्याप्त अतिरिक्त टीयर 1 और टीयर 2 के कारण सामान्य इक्विटी टीयर 1 के लिए प्रयुक्त विनियामक समायोजन	-
28	सामान्य इक्विटी टीयर 1 में किया गया कुल विनियामक समायोजन	173,108.39
29	सामान्य इक्विटी टीयर 1 पूंजी (सीईटी1)	166,898.34
अतिरिक्त टियर 1 पूंजी: लिखत		
30	अतिरिक्त टीयर 1 लिखतों के लिए अर्ह प्रत्यक्ष रूप से जारी और संबंधित स्टॉक अधिशेष (शेयर प्रीमियम) (31+32)	-
31	इसमें से: लागू लेखांकन मानदंडों के अंतर्गत इक्विटी के रूप में वर्गीकृत (स्थाई गैर-संचयी अधिमान शेयर)	-

(राशि ₹ मिलियन में)

32	इसमें से: लागू लेखांकन मानदंडों (स्थाई ऋण लिखत) के अंतर्गत देयताओं के रूप में वर्गीकृत	0.00
33	एटी1 पूंजी से चरणबद्ध रूप से समापन व्यवस्थाओं के अधीन प्रत्यक्ष रूप से जारी पूंजी लिखत	4,130.40
34	सहायक कंपनियों द्वारा निर्गमित तथा अन्य पक्षों द्वारा धारित (समूह एटी1 में अनुमत राशि) अतिरिक्त टियर 1 लिखत (और पंक्ति 5 में शामिल न किए गए सीईटी1 लिखत)	-
35	इसमें से: चरणबद्ध रूप से समापन के अधीन सहायक कंपनियों द्वारा जारी लिखत	-
36	विनियामक कटौतियों के पूर्व अतिरिक्त टियर 1 पूंजी	4,130.40
अतिरिक्त टियर 1 पूंजी: विनियामक समायोजन		
37	स्वयं के अतिरिक्त टियर 1 लिखतों में निवेश	-
38	अतिरिक्त टियर 1 लिखतों में पारस्परिक प्रति- धारिता	0.00
39	ऐसी बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा संस्थाओं की पूंजी में निवेश जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हों, पात्र अधिविक्रय का निवल, जहां बैंक के पास संस्था के निर्गमित सामान्य शेयर पूंजी की 10% से अधिक धारिता नहीं है (10% की प्रारंभिक राशि से अधिक)	-
40	ऐसी बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं की पूंजी में उल्लेखनीय निवेश जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हों (पात्र अधिविक्रय का निवल)	-
41	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (41क+41ख)	-
41क	इसमें से: असमेकित सहायक बीमा संस्थाओं की अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में निवेश	-
41ख	इसमें से: उन बहुलांश स्वामित्ववाली वित्तीय संस्थाओं की अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में कमी जिनका बैंक के साथ समेकन नहीं हुआ है	-
42	कटौतियों को कवर करने हेतु अपर्याप्त अतिरिक्त टियर 2 के कारण अतिरिक्त टियर 1 के लिए प्रयुक्त विनियामक समायोजन	-
43	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में किया गया कुल विनियामक समायोजन	0.00
44	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी (एटी1)	4,130.40
45	टियर 1 पूंजी (टियर1= सीईटी1+एटी1) (29+44क)	171,028.74
टियर 2 पूंजी: लिखत एवं प्रावधान		
46	प्रत्यक्ष रूप से निर्गमित अर्हता टियर 2 लिखत और संबंधित स्टॉक अधिशेष	19,000.00
47	टियर 2 में से चरणबद्ध रूप से समापन के अधीन प्रत्यक्ष रूप से निर्गमित पूंजी लिखत	19,773.18
48	सहायक कंपनियों द्वारा निर्गमित तथा अन्य पक्षों द्वारा धारित (समूह टियर 2 में अनुमत राशि) टियर 2 लिखत (और पंक्ति 5 अथवा 34 में शामिल न किए गए सीईटी 1 एवं एटी 1 लिखत)	-
49	इसमें से: चरणबद्ध रूप से समापन के अधीन सहायक कंपनियों द्वारा जारी लिखत	-
50	प्रावधान	6,193.69
51	विनियामक कटौतियों के पूर्व टियर 2 पूंजी	44,966.87

(राशि ₹ मिलियन में)

टीयर 2 पूंजी: विनियामक समायोजन		
52	स्वयं के टीयर 2 पूंजी लिखतों में निवेश	-
53	टीयर 2 पूंजी लिखतों में पारस्परिक प्रतिधारिता	0.00
54	ऐसी बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा संस्थाओं की पूंजी में निवेश जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हों, पात्र अधिविक्रय का निवल, जहां बैंक के पास संस्था के निर्गमित सामान्य शेयर पूंजी की 10% से अधिक धारिता नहीं है (10% की प्रारंभिक राशि से अधिक)	-
55	ऐसी बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं की पूंजी में उल्लेखनीय निवेश जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हों (पात्र अधिविक्रय का निवल)	-
56	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (56 क+56 ख)	0.00
56क	इसमें से: असमेकित सहायक कंपनियों की टीयर 2 पूंजी में निवेश	0.00
56ख	इसमें से: उन बहुलांश स्वामित्ववाली वित्तीय संस्थाओं की अतिरिक्त टीयर 2 पूंजी में कमी जिनका बैंक के साथ समेकन नहीं हुआ है	-
57	टीयर 2 पूंजी के लिए किया गया कुल विनियामक समायोजन	0.00
58	टीयर 2 पूंजी (टी2)	44,966.87
59	कुल पूंजी (कुल पूंजी = टीयर1+ टीयर2)	215,995.61
60	कुल जोखिम भारित आस्तियां (60क+ 60ख+ 60ग)	1,841,558.87
60क	इसमें से: कुल ऋण जोखिम भारित आस्तियां	1,477,864.48
60ख	इसमें से: कुल बाजार जोखिम भारित आस्तियां	193,714.75
60ग	इसमें से: कुल परिचालनगत जोखिम भारित आस्तियां	169,979.64
पूंजीगत अनुपात और बफर		
61	सामान्य इक्विटी टीयर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	9.06%
62	टीयर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	9.29%
63	कुल पूंजी (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	11.73%
64	संस्था आधारित बफर आवश्यकता (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त न्यूनतम सीईटी 1 आवश्यकता के साथ पूंजी संरक्षण और प्रतिचक्रीय बफर आवश्यकताएं)	7.375%
65	इनमें से: पूंजी संरक्षण बफर आवश्यकता	1.875%
66	इनमें से: बैंक आधारित प्रति चक्रीय बफर आवश्यकता	-
67	इसमें से: जी-एसआईबी बफर आवश्यकता	-
68	बफर संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपलब्ध सामान्य इक्विटी टीयर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	0.00

(राशि ₹ मिलियन में)

राष्ट्रीय न्यूनतम अनुपात (यदि बासेल III न्यूनतम से भिन्न हो)		
69	राष्ट्रीय सामान्य इक्विटी टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बासेल III न्यूनतम से भिन्न हो)	
70	राष्ट्रीय टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बासेल III न्यूनतम से भिन्न हो)	
71	राष्ट्रीय कुल पूंजी न्यूनतम अनुपात (यदि बासेल III न्यूनतम से भिन्न हो)	
कटौती के लिए प्रारम्भिक सीमा से नीचे की राशियां (जोखिमभारिता से पहले)		
72	अन्य वित्तीय संस्थाओं की पूंजी में गैर-उल्लेखनीय निवेश	3,707.66
73	वित्तीय संस्थाओं के सामान्य स्टॉक में उल्लेखनीय निवेश	9,958.64
74	बंधक सर्विसिंग अधिकार (संबन्धित कर देयता को घटाकर)	लागू नहीं
75	अस्थायी अंतरों से उत्पन्न होने वाली आस्थगित कर आस्तियां (संबन्धित कर देयता को घटाकर)	लागू नहीं
टियर 2 पूंजी में प्रावधानों को शामिल करने पर लागू उच्चतम सीमा		
76	मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन एक्सपोजर के संबंध में टियर 2 में शामिल किए जाने हेतु पात्र प्रावधान (उच्चतम सीमा लागू होने से पूर्व)	6,193.69
77	मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन टियर 2 में प्रावधानों के समावेश पर उच्चतम सीमा	-
78	आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण के अधीन एक्सपोजर के संबंध में टियर 2 में शामिल किए जाने हेतु पात्र प्रावधान (उच्चतम सीमा लागू होने से पूर्व)	लागू नहीं
79	आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण के अधीन टियर 2 में प्रावधानों के समावेश पर उच्चतम सीमा	लागू नहीं
चरणबद्ध रूप से समापन व्यवस्थाओं के अधीन पूंजीगत लिखत (केवल 31 मार्च 2017 और 31 मार्च 2022 के बीच लागू)		
80	चरणबद्ध रूप से समापन व्यवस्थाओं के अधीन सीईटी 1 लिखतों पर वर्तमान सीमा	लागू नहीं
81	उच्चतम सीमा के कारण सीईटी 1 से बाहर रखी गई राशि (मोचन एवं परिपक्वताओं के बाद सीमा से अधिक)	लागू नहीं
82	चरणबद्ध रूप से समापन व्यवस्थाओं के अधीन एटी 1 लिखतों पर वर्तमान उच्चतम सीमा	लागू नहीं
83	सीमा के कारण एटी 1 से बाहर रखी गई राशि (मोचन एवं परिपक्वताओं के बाद उच्चतम सीमा से अधिक)	लागू नहीं
84	चरणबद्ध रूप से समापन व्यवस्थाओं के अधीन टी 2 लिखतों पर वर्तमान उच्चतम सीमा	लागू नहीं
85	उच्चतम सीमा के कारण टी 2 से बाहर रखी गई राशि (मोचन एवं परिपक्वताओं के बाद उच्चतम सीमा से अधिक)	लागू नहीं

टेम्पलेट के नोट

टेम्पलेट की पंक्ति संख्या	विवरण	(राशि ₹ मिलियन में)
10	संचित हानियों से सम्बद्ध आस्थगित कर आस्तियां	71,016.40
	आस्थगित कर देयताओं को घटाकर आस्थगित कर आस्तियां (संचित हानियों से सम्बद्ध को छोड़कर)	125,867.15
	पंक्ति 10 में दर्शाए अनुसार कुल	196,883.55
19	यदि सहायक बीमा कंपनियों में किए गए निवेशों को पूंजी से पूर्ण रूप से घटाया न गया हो और उसे 10% की प्रारंभिक सीमा के अंतर्गत कटौती हेतु पात्र माना गया हो तो उसके परिणामस्वरूप बैंक की पूंजी में हुई वृद्धि	0
	इनमें से : सामान्य इक्विटी टीयर 1 पूंजी में हुई वृद्धि	
	इनमें से: अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी में हुई वृद्धि	
	इनमें से: अतिरिक्त टीयर 2 पूंजी में हुई वृद्धि	
26ख	यदि असमेकित गैर-वित्तीय सहायक कंपनियों की इक्विटी पूंजी में किए गए निवेशों की कटौती न की जाती हो तब भारत जोखिम निम्नानुसार होगा:	
	(i) सामान्य इक्विटी टीयर 1 पूंजी में वृद्धि	
	(ii) जोखिम भारत आस्तियों में वृद्धि	
50	टीयर 2 पूंजी में शामिल किए गए पात्र प्रावधान	6,193.69
	टीयर 2 पूंजी में शामिल किए गए पात्र पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधियां	30,217.60
	पंक्ति 50 का योग	36,411.28

तालिका डीएफ-12: पूंजीगत संरचना - समाधान अपेक्षाएं

चरण 1:

(राशि ₹ मिलियन में)

		वित्तीय विवरण के अनुसार तुलन पत्र	समेकन के विनियामक क्षेत्र के अंतर्गत तुलन पत्र
		रिपोर्ट करने की तारीख के अनुसार	रिपोर्ट करने की तारीख के अनुसार
अ	पूंजी एवं देयताएं		
i	प्रदत्त पूंजी	77,362.95	77,362.95
	रिज़र्व और अधिशेष	629,820.86	625,632.67
	अल्पसंख्यक हित	969.79	0.00
	कुल पूंजी	708,153.60	702,995.62
ii	जमाराशियां	2,271,901.07	2,273,348.94
	इसमें से : बैंकों से जमाराशियां	174,408.38	174,408.38
	इसमें से : ग्राहकों से जमाराशियां	2,097,492.70	2,098,940.56
	इसमें से : अन्य जमाराशियां (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	0.00	0.00

(राशि ₹ मिलियन में)

		वित्तीय विवरण के अनुसार तुलन पत्र	समेकन के विनियामक क्षेत्र के अंतर्गत तुलन पत्र
		रिपोर्ट करने की तारीख के अनुसार	रिपोर्ट करने की तारीख के अनुसार
iii	उधार राशियाँ	452,877.24	452,877.24
	इसमें से : रिजर्व बैंक से	89,960.00	89,960.00
	इसमें से : बैंकों से	47,714.47	47,714.47
	इसमें से : अन्य संस्थानों व एजेंसियों से	0.00	0.00
	इसमें से : अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें) भारत से बाहर उधारराशियाँ, सामान्य पुनर्वित्त, फ्लेक्सी बांड तथा ओम्नी बांड	186,672.77	186,672.77
	इसमें से : पूंजीगत लिखत	128,530.00	128,530.00
iv	अन्य देयताएं एवं प्रावधान	101,898.79	100,490.30
	कुल	3,534,830.71	3,529,712.10
आ	आस्तियाँ		
i	भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकदी एवं शेष जमाराशि	127,316.98	127,305.57
	बैंकों के पास जमा शेष तथा मांग और अल्पसूचना पर प्रतिदेय राशि	85,722.25	85,694.87
ii	निवेश:	933,277.25	929,314.36
	इसमें से : सरकारी प्रतिभूतियाँ	830,378.63	828,814.37
	इसमें से : अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	0.00	0.00
	इसमें से : शेयर	19,727.30	14,028.15
	इसमें से : डिबेंचर एवं बांड	30,488.82	29,744.65
	इसमें से : सहायक संस्थाएं / संयुक्त उद्यम / सहयोगी	119.40	4,270.38
	इसमें से : अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्यूचुअल फंड इत्यादि)	52,563.11	52,456.80
iii	ऋण एवं अग्रिम	1,467,904.38	1,467,904.38
	इसमें से : बैंकों को ऋण एवं अग्रिम	4,841.49	4,841.49
	इसमें से : ग्राहकों को ऋण एवं अग्रिम	1,463,062.89	1,463,062.89
iv	अचल आस्तियाँ	83,099.08	82,406.87
v	अन्य आस्तियाँ	513,794.04	511,061.91
	इसमें से : साख एवं अमूर्त आस्तियाँ	0.00	0.00
	इसमें से : आस्थगित कर आस्तियाँ	196,886.12	196,883.55
vi	समेकन पर साख	0.00	0.00
vii	लाभ-हानि लेखे में नामे शेष	323,716.73	326,024.13
	कुल आस्तियाँ	3,534,830.71	3,529,712.09

चरण 2:

(राशि ₹ मिलियन में)

		वित्तीय विवरण के अनुसार तुलन पत्र	समेकन के विनियामक क्षेत्र के अंतर्गत तुलन पत्र
		रिपोर्ट करने की तारीख के अनुसार	रिपोर्ट करने की तारीख के अनुसार
अ	पूंजी एवं देयताएं		
i	प्रदत्त पूंजी	77,362.95	77,362.95
	इसमें से : सीईटी1 के लिए पात्र राशि	77,362.95	77,362.95
	इसमें से : एटी1 के लिए पात्र राशि	0.00	0.00
	रिज़र्व और अधिशेष	629,820.86	625,632.67
	शेयर प्रीमियम	430,131.96	430,131.96
	सांविधिक रिज़र्व	24,747.47	24,747.47
	पूंजी रिज़र्व	28,748.76	26,120.70
	अन्य प्रकटित निर्बंध रिज़र्व	78,915.75	77,450.19
	लाभ-हानि लेखे में शेष राशि		
	पुनर्मूल्यन रिज़र्व	67,276.91	67,276.91
	इनमें से: सीईटी 1 हेतु पात्र राशि	30,217.60	30,217.60
	अल्पसंख्यक हित	969.79	0.00
	कुल पूंजी	708,153.60	702,995.62
ii	जमाराशियां	2,271,901.07	2,273,348.94
	इसमें से : बैंकों से जमाराशियां	174,408.38	174,408.38
	इसमें से : ग्राहकों से जमाराशियां	2,097,492.70	2,098,940.56
	इसमें से : अन्य जमाराशियां (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	0.00	0.00
iii	उधार राशियां	452,877.24	452,877.24
	इसमें से : रिज़र्व बैंक से	89,960.00	89,960.00
	इसमें से : बैंकों से	47,714.47	47,714.47
	इसमें से : अन्य संस्थानों एवं एजेंसियों से	0.00	0.00
	इसमें से : अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें) भारत से बाहर उधार राशियां, सामान्य पुनर्वित्त, फ्लेक्सी बांड तथा ओम्नी बांड	186,672.77	186,672.77
	इसमें से : पूंजीगत लिखते	128,530.00	128,530.00
	इनमें से -		
	क) पात्र अतिरिक्त टीयर 1	4,130.40	4,130.40
	ख) पात्र टीयर 2	38,773.18	38,773.18

(राशि ₹ मिलियन में)

		वित्तीय विवरण के अनुसार तुलन पत्र	समेकन के विनियामक क्षेत्र के अंतर्गत तुलन पत्र
		रिपोर्ट करने की तारीख के अनुसार	रिपोर्ट करने की तारीख के अनुसार
iv	अन्य देयताएं एवं प्रावधान	101,898.79	100,490.30
	इसमें से : मानक आस्तियों पर विवेकपूर्ण प्रावधान, आरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के लिए प्रावधान तथा अतिरिक्त प्रावधान जो टीयर 2 पूंजी के अंतर्गत शामिल एनपीए की बिक्री से उत्पन्न हुए.	6,193.69	6,193.69
	इसमें से : आबंटन के विचाराधीन होने के कारण सीईटी1 पूंजी के रूप में अनुमत भारत सरकार से प्राप्त शेयर आवेदन राशि	0.00	0.00
	कुल	3,534,830.71	3,529,712.10
आ	आस्ति		
i	भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी एवं शेष राशि	127,316.98	127,305.57
	बैंकों के पास शेष राशि तथा मांग और अल्पसूचना पर प्रतिदेय राशि	85,722.25	85,694.87
ii	निवेश	933,277.25	929,314.36
	इसमें से : सरकारी प्रतिभूतियां	830,378.63	828,814.37
	इसमें से : अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	0.00	0.00
	इसमें से : शेयर	19,727.30	14,028.15
	इसमें से : डिबेंचर एवं बांड	30,488.82	29,744.65
	इसमें से : सहायक संस्थाएं/संयुक्त उद्यम/सहयोगी	119.40	4,270.38
	इसमें से : अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्यूचुअल फंड इत्यादि)	52,563.11	52,456.80
iii	ऋण एवं अग्रिम	1,467,904.38	1,467,904.38
	इसमें से : बैंकों को ऋण एवं अग्रिम	4,841.49	4,841.49
	इसमें से : ग्राहकों को ऋण एवं अग्रिम	1,463,062.89	1,463,062.89
iv	अचल आस्तियां	83,099.08	82,406.87
	जिनमें से अमूर्त आस्तियां	773.24	754.52
v	अन्य आस्तियां	513,794.04	511,061.91
	इसमें से : साख एवं अमूर्त आस्तियां	0.00	0.00
	इसमें से :		
	साख	0.00	0.00
	अन्य अमूर्त आस्तियां (एमएसआर को छोड़कर)	0.00	0.00
	आस्थगित कर आस्तियां	196,883.55	196,883.55
vi	समेकन पर साख	0.00	0.00
vii	लाभ-हानि लेखे में नामे शेष	323,716.73	326,024.13
	कुल आस्तियां	3,534,830.71	3,529,712.09

चरण 3:

(राशि ₹ मिलियन में)

बासेल III सामान्य प्रकटीकरण टैम्पलेट का सारांश (जोड़े गए कॉलम सहित) - तालिका डीएफ-11 (भाग I / भाग II जो भी लागू हो)		
सामान्य इक्विटी टीयर 1 पूंजी : लिखतें एवं रिज़र्व		
1	सीधे जारी किए गए अर्हताप्राप्त सामान्य शेयर (तथा गैर-संयुक्त स्टॉक कंपनियों के समतुल्य) पूंजी के साथ संबंधित स्टॉक अधिशेष	77,362.95
2	लाभ-हानि लेखे में नामे शेष	326,024.13
3	संचित अन्य व्यापक आय (तथा अन्य रिज़र्व)	588,667.92
4	आबंटन के विचाराधीन होने के कारण सीईटी1 पूंजी के रूप में अनुमत भारत सरकार से प्राप्त शेयर आवेदन राशि	0.00
5	सीईटी1 से चरणबद्ध रूप से समापन के अधीन सीधे जारी पूंजी (केवल गैर-संयुक्त स्टॉक कंपनियों पर लागू)	-
6	सहायक संस्थाओं द्वारा जारी एवं तृतीय पक्ष द्वारा धारित सामान्य शेयर पूंजी (समूह सीईटी1 में अनुमत राशि)	-
7	विनियामक समायोजन से पूर्व सामान्य इक्विटी टीयर 1 पूंजी	340,006.73
8	विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन	-
9	साख (संबद्ध कर देयता को घटा कर)	-
10	सीधे जारी किए गए अर्हताप्राप्त सामान्य शेयर (तथा गैर-संयुक्त स्टॉक कंपनियों के समतुल्य) पूंजी के साथ संबंधित स्टॉक अधिशेष	77,362.95

तालिका डीएफ-13: विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताएं

डीएफ-13: बैंक द्वारा जारी विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताएं वेबसाइट पर विनियामक प्रकटन खंड>>वित्तीय वर्ष 2018-19 (बासेल III)>>मार्च 2019 के अंतर्गत उपलब्ध हैं।

तालिका डीएफ-14: बैंक द्वारा जारी विनियामक पूंजी लिखतों के निबंधन और शर्तें

डीएफ-14: बैंक द्वारा जारी विनियामक पूंजी लिखतों के लिए टर्म शीट वेबसाइट पर विनियामक प्रकटन खंड>>वित्तीय वर्ष 2018-19 (बासेल III)>>मार्च 2019 के अंतर्गत उपलब्ध हैं।

तालिका डीएफ 16: इक्विटी - बैंकिंग बही स्थितियाँ

निम्नलिखित में इक्विटी निवेश बैंकिंग बही में धारित हैं :

1. सहायक संस्थाएं और संयुक्त उद्यम (जेवी) - कंपनियों के लाभ वितरण में भाग लेने के इरादे से इन्हें लंबे समय तक बनाए रखने का विचार है। इन निवेशों को एचटीएम के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
2. सहयोगी संस्थाएं - इन निवेशों में अधिकांश निवेश पूर्ववर्ती विकास वित्तीय संस्था (डीएफआई) द्वारा अपने विकास बैंकिंग भूमिका को पूरा करने के लिए किए गए हैं। बैंक का विचार जब कभी मौका आने पर इन निवेशों को निर्निहित करने का है। इन निवेशों को एएफएस के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
3. निवेशकर्ता कंपनियों की इक्विटी पूंजी में शेयरधारिता 20% से भी कम है जो अभिदान/खरीद/ बकाया ऋणों के इक्विटी में परिवर्तन/क्षतिपूर्ति की वसूली के माध्यम से अर्जित है। इन्हें मध्यावधि के रूप में बनाए रखने का विचार है तथा इन्हें वापसी खरीद के माध्यम से निर्निहित और या अन्य पक्ष, स्टॉक एक्सचेंज या अन्य माध्यम से बिक्री किया जाएगा। इन निवेशों को एएफएस के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत निवेशों को बाजार भाव पर दर्शाना होता है और इन्हें अधिग्रहण लागत पर वहन किया जाता है। अस्थायी को छोड़कर, इक्विटी निवेश के मूल्य में किसी हास के लिए प्रावधान करना होता है। एचटीएम श्रेणी में निवेश की बिक्री पर कोई हानि होने पर उसे लाभ और हानि विवरण में दर्शाना होता है तथा इसके बाद में आरक्षित पूंजी को घटाने के बाद और सावधिक आरक्षित निधियों में विनियोजित किया जाता है।

निवेश नीति के अनुसार, बैंक के पोर्टफोलियो में उद्धृत भाव वाले इक्विटी शेयरों के दैनिक आधार पर बाजार भाव दर्शाने होते हैं। वे इक्विटी शेयर जिनके लिए वर्तमान दर उपलब्ध नहीं है या जहां शेयरों के दर स्टॉक एक्सचेंज में उद्धृत नहीं किए गए हैं उनको ब्रेक-अप मूल्य (पुनर्मूल्यन आरक्षित निधियों पर विचार किए बिना) पर मूल्यांकित किया जाता है जिसका पता कंपनी के नवीनतम तुलन पत्र (मूल्यांकन की तारीख से एक वर्ष से अधिक नहीं) से लगाया जाता है। नवीनतम तुलन पत्र उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में शेयरों का मूल्य प्रति कंपनी ₹ 1 लगाया जाता है

रिपोर्टिंग अवधि के दौरान इस कार्य-प्रणाली में कोई परिवर्तन नहीं हुआ

बैंकिंग बही में इक्विटी निवेश :

क्र. सं.	विवरण	(राशि ₹ मिलियन में)
1	बैंकिंग बही में इक्विटी निवेश	
	क) निवेशों के तुलन पत्र में प्रकट मूल्य	27,410.57
	ख) निवेशों का उचित मूल्य	29,142.00
	चूंकि बैंक मानता है कि ऐसे शेयरों का सार्वजनिक रूप से उद्धृत मूल्य ही इन शेयरों का उचित मूल्य है, अतः दोनों मूल्यों में कोई वास्तविक अंतर नहीं है।	
2	निम्नलिखित रूपों में वर्गीकृत राशियों सहित निवेशों के प्रकार और उनकी प्रकृति :	इक्विटी शेयर
	क) सार्वजनिक रूप से किए गए लेनदेन	16,515.12
	ख) निजी तौर पर धारित (असूचीबद्ध)	10,895.45
3	रिपोर्टिंग अवधि के दौरान बिक्री और परिसमापन से प्राप्त संचयी वसूली अभिलाभ (हानि)	762.96
4	कुल अप्राप्त अभिलाभ (हानि)*	शून्य
5	कुल अप्रकट पुनर्मूल्यांकन अभिलाभ (हानि)**	1,731.43
6	उपर्युक्त में से कोई राशि जो टियर 1 और या टियर 2 पूंजी में शामिल है।	शून्य

* अप्राप्त अभिलाभ (हानि) तुलन पत्र में दर्शाए जाते हैं, लेकिन लाभ-हानि लेखे के माध्यम से नहीं।

** अप्राप्त अभिलाभ (हानि) न ही तुलन पत्र में दर्शाए जाते हैं और न ही लाभ-हानि लेखे के माध्यम से।

तालिका डीएफ 17: लीवरेज अनुपात - लीवरेज अनुपात एक्सपोजर मापन की तुलना में लेखांकन आस्ति का तुलनात्मक सार

क्र. सं.	मद	(₹ मिलियन में)
1	प्रकाशित वित्तीय विवरणों के अनुसार कुल समेकित आस्तियां	3,211,113.98
2	बैंकिंग, वित्तीय, बीमा या वाणिज्यिक संस्थाओं में निवेश के लिए समायोजन जिन्हें लेखांकन के प्रयोजन से समेकित किया गया है, लेकिन विनियामकीय रूप से समेकन के क्षेत्र में नहीं आते हैं।	(502.60)
3	न्यासी आस्तियों के लिए समायोजन जिन्हें परिचालनगत लेखांकन ढांचे के अंतर्गत तुलन पत्र में दर्शाया गया है, लेकिन लीवरेज अनुपात एक्सपोजर मापन में शामिल नहीं किया गया है।	0
4	डेरिवेटिव वित्तीय लिखतों के लिए समायोजन	37,825.19
5	प्रतिभूति वित्तपोषण लेन-देनों के लिए समायोजन (अर्थात रेपो और समरूप प्रतिभूत उधार)	-
6	तुलन पत्र से बाहर मदों के लिए समायोजन (अर्थात तुलन पत्र एक्सपोजर से बाहर की ऋण समतुल्य राशियों का रूपांतरण)	569,679.80
7	अन्य समायोजन	177,172.29
8	लीवरेज अनुपात एक्सपोजर	3,641,949.28

डीएफ 18: लीवरेज अनुपात सामान्य प्रकटीकरण टेम्पलेट

क्र. सं.	मद	(₹ मिलियन में)
तुलन पत्र में एक्सपोजर		
1	तुलन पत्र में शामिल मदें (डेरिवेटिव और एसएफटी छोड़कर, लेकिन संपार्श्विक सहित)	3,135,445
2	(बासेल III टियर 1 पूंजी को ध्यान में रखकर घटायी गई राशि)	(173,108)
3	तुलन पत्र में शामिल कुल एक्सपोजर (डेरिवेटिव और एसएफटी छोड़कर) (पंक्ति 1 और 2 का योग)	2,962,336
डेरिवेटिव एक्सपोजर		
4	सभी डेरिवेटिव लेन-देन से सम्बद्ध प्रतिस्थापन लागत (अर्थात् निवल पात्र नकदी भिन्नता मार्जिन)	17,541
5	सभी डेरिवेटिव लेनदेनों से सम्बद्ध पीएफई के लिए जोड़ी गई राशि	20,284
6	प्रदत्त डेरिवेटिव संपार्श्विक के लिए सकल राशि जहां परिचालनगत लेखांकन ढांचे के अनुसार तुलन पत्र आस्तियों से घटायी गई.	0.00
7	(डेरिवेटिव लेन-देन में की गई व्यवस्था नकद भिन्नता मार्जिन के लिए प्राप्य राशियों की कटौती)	0
8	(ग्राहक मंजूर व्यापार एक्सपोजर से संबन्धित सीपीसी लेग छूट)	0
9	लिखित ऋण डेरिवेटिव से संबन्धित समायोजित प्रभावी आनुमानिक राशि	0
10	(लिखित ऋण डेरिवेटिव के लिए जोड़ी गई समायोजित प्रभावी आनुमानिक राशि)	0
11	कुल डेरिवेटिव एक्सपोजर (पंक्ति 4 से 10 का योग)	37,825.19
प्रतिभूति वित्तपोषण लेनदेन एक्सपोजर		
12	बिक्री लेखांकन लेन-देन के लिए समायोजन के बाद निवल एसएफटी आस्तियां (बिना निवल राशि के साथ)	71,500
13	(सकल एसएफटी आस्तियों से संबन्धित नकदी देयों और प्राप्य राशियों के लिए निर्धारित राशि)	0
14	एसएफटी आस्तियों के लिए सीसीआर एक्सपोजर	608
15	एजेंट लेन-देन एक्सपोजर	0
16	कुल प्रतिभूति वित्तपोषण लेनदेन एक्सपोजर (पंक्ति 12 से 15 का योग)	72,108
तुलन पत्र से अलग अन्य एक्सपोजर		
17	सकल आनुमानिक राशि में तुलन पत्र से अलग एक्सपोजर	1,831,150
18	(ऋण समतुल्य राशियों में संपरिवर्तन के लिए समायोजन)	(1,261,470)
19	तुलन पत्र से अलग मद (पंक्ति 17 से 18)	569,680
पूंजी और कुल एक्सपोजर		
20	टियर 1 पूंजी	171,029
21	कुल एक्सपोजर (पंक्ति 3, 11, 16 और 19 का योग)	3,641,949
लीवरेज अनुपात		
22	बासेल III लीवरेज अनुपात	4.69%

प्रकाशित वित्तीय विवरणों और लीवरेज अनुपात के अंतर्गत तुलन पत्र से अलग एक्सपोजर के अनुसार कुल समेकित आस्तियों के बीच समाधान

क्र. सं.	मद	(₹ मिलियन में)
1	प्रकाशित वित्तीय विवरणों के अनुसार कुल समेकित आस्तियां	3,211,113.98
2	सभी डेरिवेटिव लेन-देनों से सम्बद्ध प्रतिस्थापन लागत, अर्थात् पात्र नकदी भिन्नता मार्जिन का तय कर	-
3	प्रतिभूति वित्तपोषण लेन-देन के लिए समायोजन (अर्थात् रेपो और समरूप प्रतिभूत उधार)	72,108.08
4	सांपार्श्विकों के लिए समायोजन तथा विनियामकीय समेकन परिसीमा से बाहर के लिए समायोजन	3561.30
5	लीवरेज अनुपात के अंतर्गत तुलन पत्र में शामिल एक्सपोजर (डेरिवेटिव और एसएफटी छोड़कर)	3,101,180.71

IDBI Bank Ltd.

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2019)

1. Scope of Application and Capital Adequacy

Table DF-1: Scope of Application

Accounting and regulatory consolidation

For the purpose of financial reporting, the Bank consolidates its subsidiaries in accordance with Accounting Standard (AS) 21, Consolidated Financial Statements, on a line-by-line basis by adding together like items of assets, liabilities, income and expenditure. Investments in associates are accounted for by the equity method in accordance with AS-23, "Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements".

For the purpose of consolidated prudential regulatory reporting, the consolidated Bank includes all group entities under its control, except group companies which are engaged in insurance business and any non-financial activities. Details of subsidiaries and associates of the Bank along with the consolidation status for accounting and regulatory purposes are given below:

Name of the head of the banking group to which the framework applies: IDBI Bank Ltd.

(i) Qualitative Disclosures

a. List of group entities considered for consolidation

Name of the entity / Country of incorporation	Whether the entity is included under accounting scope of consolidation (yes/no)	Explain the method of consolidation	Whether the entity is included under regulatory scope of consolidation (yes/no)	Explain the method of consolidation	Explain the reasons for difference in the method of consolidation	Explain the reasons if consolidated under only one of the scopes of consolidation
IDBI Capital Market Services Ltd/India	Yes	Consolidated in accordance with AS-21, Consolidated Financial Statements	Yes	Consolidated in accordance with AS-21, Consolidated Financial Statements	NA	NA
IDBI Asset Management Ltd/India	Yes	Consolidated in accordance with AS-21, Consolidated Financial Statements	Yes	Consolidated in accordance with AS-21, Consolidated Financial Statements	NA	NA
IDBI MF Trustee Company Ltd/India	Yes	Consolidated in accordance with AS-21, Consolidated Financial Statements	No	NA	NA	IDBI MF Trustee Company Ltd is a non-Financial Entity. Deducted from Consolidated Regulatory Capital of the group.
IDBI Intech Ltd/India	Yes	Consolidated in accordance with AS-21, Consolidated Financial Statements	No	NA	NA	IDBI Intech Ltd is a non-Financial Entity. Deducted from Consolidated Regulatory Capital of the group.
IDBI Trusteeship Services Ltd/India	Yes	Consolidated in accordance with AS-21, Consolidated Financial Statements	No	NA	NA	IDBI Trusteeship is a non-Financial Entity. Deducted from Consolidated Regulatory Capital of the group.

Name of the entity / Country of incorporation	Whether the entity is included under accounting scope of consolidation (yes/no)	Explain the method of consolidation	Whether the entity is included under regulatory scope of consolidation (yes/no)	Explain the method of consolidation	Explain the reasons for difference in the method of consolidation	Explain the reasons if consolidated under only one of the scopes of consolidation
IDBI Federal Life Insurance Company Ltd.	Yes	Consolidated in accordance with AS-27, Financial Reporting of Interest in Joint Venture.	No	NA	NA	Excluded as per regulatory reporting guidelines being an entity engaged in insurance business.
Biotech Consortium India Limited	Yes	Accounted for by the equity method in accordance with AS-23, "Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements".	No	NA	NA	Risk weighted for capital adequacy purposes
National Securities Depository Limited	Yes	Accounted for by the equity method in accordance with AS-23, "Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements".	No	NA	NA	Risk weighted for capital adequacy purposes
NORTH EASTERN DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LIMITED	Yes	Accounted for by the equity method in accordance with AS-23, "Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements".	No	NA	NA	Risk weighted for capital adequacy purposes

* NA – Not Applicable

b. List of group entities not considered for consolidation both under the accounting and regulatory scope of consolidation

There are no group entities that are not considered for consolidation under both the accounting scope of consolidation and regulatory scope of consolidation.

(ii) Quantitative Disclosures:

c. List of group entities considered for regulatory consolidation:

(Amt. in ₹ Million)

Name of the entity / country of incorporation (as indicated in (i)a. above)	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	Total balance sheet assets (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)
IDBI Capital Market Services Ltd/India	Business includes stock broking, distribution of financial products, merchant banking, corporate advisory services, etc.	Rs.1281	Rs.3534

Name of the entity / country of incorporation (as indicated in (i)a. above)	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	Total balance sheet assets (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)
IDBI Asset Management Ltd/ India	Manages investments of funds raised through MF schemes.	Rs.2000	Rs.1173

d. The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries which are not included in the regulatory scope of consolidation i.e. that are deducted:

There is no capital deficiency in any subsidiary, which is not included in the regulatory scope of consolidation.

e. The aggregate amounts (e.g. current book value) of the bank's total interests in insurance entities, which are risk-weighted:

(Amt. in ₹ Million)

Name of the insurance entities / country of incorporation	Principle activity Of the entity	Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	% of bank's holding in the total equity / proportion of voting power	Quantitative impact on Regulatory capital of using risk weighting method versus using the full deduction method
IDBI Federal Life Insurance Company Ltd. / India	Life Insurance business	Rs. 8000	48 %	2796.00

f. Any restrictions or impediments on transfer of funds or regulatory capital within the banking group:

There are no restrictions or impediments on transfer of funds or regulatory capital within the banking group.

Table DF-2: Capital Adequacy

The Bank maintains and manages capital as a cushion against the risk of probable losses and to protect its stakeholders, depositors and creditors. The future capital requirement of the Bank is projected as a part of its annual business plan, in accordance with its business strategy. To calculate the future capital requirements of the Bank a view on the market behaviour is taken after considering various factors such as interest rate, exchange rate and liquidity positions. In addition, broad parameters like balance sheet composition, portfolio mix, growth rate and relevant discounting are also considered. Further, the loan composition and rating matrix is factored in to reflect precision in projections. In line with the Basel III guidelines, which are effective since April 01, 2013, the Bank has been calculating its capital ratios as per the extant RBI guidelines. The main focus of Basel III norms is on the quality and quantity of Tier I capital. The Standalone CRAR position of the Bank as on March 31, 2019, is as given below:

CRAR	Basel III
CET 1	8.91%
Tier 1	9.13%
Tier 2	2.45%
Total(Tier 1 + Tier 2)	11.58%

For identification, quantification and estimation of current and future risks which are not captured at all or not fully captured under the Standardised Approach of Pillar-I, the Bank has a Board approved Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) policy. The policy covers the process for addressing such risks, measuring their impact on the financial position of the Bank and formulating appropriate strategies for their containment & mitigation, thereby maintaining an adequate level of capital. ICAAP exercise is conducted periodically to determine that the Bank has adequate capital to meet regulatory requirements in line with its business requirements. ICAAP policy of the bank also lays down the roadmap for comprehensive stress testing, covering regulatory stress conditions to give an insight into the impact of severe but plausible stress scenarios on the Bank's risk profile and capital position. The stress tests exercises are carried out quarterly incorporating RBI guidelines on Stress testing dated December 02, 2013. The impact of stress scenarios on the profitability and capital adequacy of the Bank are analyzed. Stress testing framework includes scenario analysis to study the likely impact of the adverse macro-economic indicators on the capital position and profitability of the Bank. The

mechanism of reverse stress testing is used to find the level of stress which may adversely hit the capital to take it to a pre-determined floor level. The result of the exercise is reported to the suitable board level committee(s).

The Consolidated CRAR position, as on March 31, 2019 is as under:

(Amt. in ₹ Million)

Capital requirement	
Credit Risk Capital:	
Portfolios subject to standardised approach	133,007.80
Securitisation	0
Market Risk Capital:	
Standardised duration approach	17,434.33
<i>Interest Rate Risk</i>	11,520.57
<i>Foreign exchange Risk (including Gold)</i>	405.00
<i>Equity Risk</i>	5,498.59
<i>On derivatives (FX Options)</i>	10.16
Operational Risk Capital:	
Basic indicator approach	15,298.17
Total Minimum Capital required excluding CCB	165,740.30
Common Equity Tier 1, Tier 1 and Total capital ratio:	
CET 1	9.06%
Tier 1	9.29%
Tier 2	2.44%
Total(Tier 1 + Tier 2)	11.73%

2. Risk exposure and assessment

Table DF-3: Credit Risk: General Disclosures:

Credit risk is the risk of loss that may occur due to default of the counterparty or from its failure to meet its obligations as per terms of the financial contract. Any such event will have an adverse effect on the financial performance of the Bank. The Bank faces credit risk through its lending, investment and contractual arrangements. A robust risk governance framework has been put in place to counter the effect of credit risks faced by the Bank. The framework provides a clear definition of roles as well as allocation of responsibilities with regard to ownership and management of risks. Allocation of responsibilities is further substantiated by defining clear hierarchy with respect to reporting relationships and Management Information System (MIS) mechanism.

Bank's Credit risk management policies

The Bank has defined and implemented various risk management policies, procedures and standards with an objective to clearly articulate processes and procedural requirements that are binding on all concerned Business groups. Credit Policy of the Bank is guided by the objective to build, sustain and maintain a high quality credit portfolio by measurement, monitoring and control of the credit exposures. The policy also addresses more granular factors such as diversification of the portfolio across companies, business groups, industries, geographies and sectors. The policy reflects the Bank's approach towards lending to corporate clients in light of prevailing business environment and regulatory stipulations.

Bank's Credit Policy also details the standards, processes and systems for growing and maintaining its Retail Assets portfolio. The policy also guides the formulation of individual product program guidelines for various retail products. Credit policy is reviewed annually in anticipation of or in response to the dynamics of the environment (regulatory & market) in which the Bank operates or to change in strategic direction, risk tolerance, etc. The policy is approved by the Board of Directors of the Bank.

Bank has put in place internal guidelines on exposure norms in respect of single borrower, groups, exposure to sensitive sector, industry exposure, unsecured exposures, etc. to control concentration of credit risk. Norms have also been detailed for soliciting new

business as well as for preliminary scrutiny of new clients. Bank abides by the directives issued by RBI, SEBI and other regulatory bodies in respect of lending to any industry including NBFCs, Real Estate, Capital Markets, Commodities, Gems and Jewelry and Infrastructure. In addition, internal limits have been prescribed for certain specific segments based on prudential considerations.

The Bank has a specific policy on Counter Party Credit Risk pertaining to exposure on domestic & international banks and a policy on Country Risk Management pertaining to exposure on various countries.

Credit risk assessment process:

The sanction of credit proposals is in accordance with the delegation structure approved by the Board of Directors. Credit risk rating, used by the Bank is one of the key tools for assessing its credit proposals.

The Bank has implemented internal rating model Risk Assessment Module (RAM), a two - dimensional module for rating viz.; obligor and facility, in line with Basel requirements. Different risk parameters such as financial, business, management and industry are used for different rating models in accordance with the category and characteristics of the borrower. Qualitative and quantitative information of the proposal is evaluated by the credit risk analyst to ascertain the credit rating of the borrower.

Proposals over a certain threshold amount are rated centrally by senior officers in the Bank. Approval of credit for retail products are guided by the individual retail product paper guidelines and each proposal is appraised through a scoring model.

In addition to the above, a Credit audit process is in place, which aims at reviewing the loans and acts as an effective tool to evaluate the efficacy of credit assessment, monitoring and mitigation process.

Credit Portfolio Monitoring:

The credit portfolio of the Bank is monitored on regular basis to ensure compliance with internal and regulatory limits as well as to avoid undue concentration (borrower or Industry). The same is periodically reported to the senior management.

Further, to ensure high quality of the asset portfolio the Bank has adopted a two pronged strategy i.e., containment of incidence of asset slippages and resolution / recovery from NPAs. In this regard, the Bank has an NPA management policy, which sets out guidelines for restricting slippage of existing standard assets and recovery / resolution of NPA by close monitoring, constant follow-up and evolving a suitable proactive Corrective Action Plan.

Definitions of non-performing assets:

The Bank classifies its advances into performing and non-performing advances in accordance with the extant RBI guidelines. The non-performing asset (NPA) is a loan or an advance where Interest and/ or installment of principal remains overdue for more than 90 days for a term loan and the account remains 'out of order' in respect of an Overdraft/Cash Credit (OD/CC). 'Out of order' means if the account outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/drawing power. In cases where the outstanding balance in the principal operating account is less than the sanctioned limit/drawing power, but there are no credits continuously for 90 days as on the date of Balance Sheet or credits are not enough to cover the interest debited during the same period, these accounts are also treated as 'out of order'. Other NPAs are as under:

- The bill remains overdue for a period of more than 90 days in the case of bills purchased and discounted.
- respect of an agricultural loan, the interest and / or installment of principal remains overdue for two crop seasons for short duration crops and for one crop season for long duration crops.

NPAs are further classified into sub-standard, doubtful and loss assets. A substandard asset is one, which has remained as NPA for a period less than or equal to 12 months. An asset is classified as doubtful if it has remained in the sub-standard category for more than 12 months. A loss asset is one where loss has been identified by the Bank or by the internal / external auditors or the RBI inspection but the amount has not been written off fully.

In respect of investments in securities, where interest / principal is in arrears, the Bank does not reckon income on such securities and makes provisions as per provisioning norms prescribed by RBI for depreciation in the value of investments.

a. Total gross credit risk exposures, Fund based and Non-fund based separately.

(Amt. in ₹ Million)

Particulars	Fund Based	Non Fund Based	Total
Total Gross Credit Exposures*	2,311,808.29	1,085,396.14	3,397,204.43
Domestic	2,094,064.99	1,085,373.81	3,179,438.80
Overseas	217,743.30	22.33	217,765.63

* Credit Exposure exclude the Investment

b. Industry type distribution of Gross credit exposures- fund based and non-fund based :

(Amt. in ₹ Million)

Industry	FB Credit Exposure	NFB Credit Exposure	Total Credit Exposure*
Agriculture & Allied Activities	244,347.80	1,441.01	245,788.81
Mining and Quarrying	93,459.86	18,842.51	112,302.37
Food Processing	53,349.47	8,240.02	61,589.49
Beverages (excluding Tea & Coffee) and Tobacco	6,695.26	365.90	7,061.16
Textiles	71,651.34	6,947.17	78,598.51
Leather and Leather products	1,555.17	83.12	1,638.29
Wood and Wood Products	1,064.92	447.89	1,512.81
Paper and Paper Products	23,386.98	4,805.24	28,192.22
Petroleum (non-infra), Coal Products (non-mining) and Nuclear Fuels	28,543.95	31,060.67	59,604.62
Chemicals and Chemical Products (Dyes, Paints, etc.)	105,776.60	50,274.95	156,051.54
Rubber, Plastic and their Products	32,914.64	6,046.79	38,961.43
Glass & Glassware Total	1,524.05	47.78	1,571.83
Cement and Cement Products Total	16,471.36	8,054.97	24,526.33
Basic Metal and Metal Products	144,323.23	123,259.32	267,582.55
All Engineering	89,790.69	131,642.39	221,433.08
Vehicles, Vehicle Parts and Transport Equipment's	40,001.56	45,364.85	85,366.40
Gems and Jewellery	14,414.78	557.34	14,972.12
Construction	52,565.00	84,947.24	137,512.24
Infrastructure	440,998.81	347,384.68	788,383.49
Other Industries	7,046.47	1,545.34	8,591.80
Transport Operators	13,881.28	1,978.04	15,859.32
Other Services	48,973.78	63,060.87	112,034.65
Computer Software	5,382.26	7,624.01	13,006.27
Tourism, Hotel and Restaurants	13,129.94	1,795.30	14,925.24
Shipping	2,898.53	74.30	2,972.83
Professional services	24,843.44	8,213.03	33,056.47
Trade	182,718.54	12,324.72	195,043.26
Commercial Real Estate	26,153.42	6,291.15	32,444.57
NBFCs	66,222.25	7,205.25	73,427.50
Housing Loans (Incl. priority sector housing)	412,346.33	1,041.34	413,387.67
Consumer Durables	32.51	0.16	32.67
Credit Card Receivables	1,320.06	0.50	1,320.56
Vehicle/Auto Loans	11,154.37	332.76	11,487.13

Education Loans	13,782.88	8.56	13,791.44
Advances against Fixed Deposits (incl. FCNR(B), etc.)	4,558.84	1,602.05	6,160.90
Other Retail Loans	1,678.26	Nil	1,678.26
Other advances	12,849.64	102,484.92	115,334.56
Total	2,311,808.29	1,085,396.14	3,397,204.43

* Credit Exposure exclude the Investment

c. Industries having more than 5% of the Gross credit exposures

(Amt. in ₹ Million)

Industry Name	Fund Based	Non Fund Based	Total	%
Infrastructure	440,998.81	347,384.68	788,383.49	23.21%
Housing Loans (Incl priority sector housing)	412,346.33	1,041.34	413,387.67	12.17%
Basic Metal and Metal Products	144,323.23	123,259.32	267,582.55	7.88%
Agriculture & Allied Activities	244,347.80	1,441.01	245,788.81	7.24%
All Engineering	89,790.69	131,642.39	221,433.08	6.52%
Trade	182,718.54	12,324.72	195,043.26	5.74%

* Credit Exposure exclude the Investment

d. Residual contractual maturity breakdown of assets:

(Amt. in ₹ Million)

Maturity Buckets	Assets				
	Cash & Balances with RBI and Other Banks	Investments	Advances	Fixed Assets & Other Assets	Total Assets
Day 1	35,542.64	163,372.47	7,658.35	14,418.12	220,991.59
2 to 7 days	79,596.45	150,522.10	13,341.74	540.81	244,001.10
8 to 14 days	1,689.27	2,015.42	11,259.48	2,797.22	17,761.39
15 to 30 days	1,641.25	14,707.21	8,006.11	1,090.80	25,445.37
31 days & upto 2 months	2,072.11	15,424.83	13,472.13	5,874.70	36,843.77
Over 2 months & upto 3 months	6,401.82	7,074.04	40,273.15	3,679.75	57,428.76
Over 3 months & upto 6 months	7,557.74	3,925.72	40,494.33	12,120.90	64,098.69
Over 6 months & upto 1 year	17,162.60	8,736.84	76,152.62	13,826.13	115,878.19
Over 1 year & upto 3 years	44,687.69	7,290.77	518,073.01	53,698.05	623,749.52
Over 3 years & upto 5 years	4,707.38	56,426.99	168,212.27	294,352.43	523,699.07
Over 5 yrs	11,278.04	501,229.91	570,961.19	189,478.35	1,272,947.49
Total	212,336.99	930,726.30	1,467,904.38	591,877.26	3,202,844.94

e. Non-Performing Assets as on March 31, 2019:

(Amt. in ₹ Million)

Particulars	
Gross Advances	1,820,972.80
Net Advances	1,467,904.40
Gross NPA as on March 31,2019	
<i>a. Substandard</i>	56,356.10
<i>b. Doubtful 1</i>	104,699.30
<i>c. Doubtful 2</i>	249,070.80
<i>d. Doubtful 3</i>	74,503.70
<i>e. Loss</i>	15,649.50
Total	500,279.40
NPA Provision*	351,904.90
Net NPA	148,374.40
NPA Ratios	
Gross NPAs to Gross Advances (%)	27.47%
Net NPAs to Net Advances (%)	10.11%

*Including NPV Loss on NPA and NCLT Provision.

f. Movement of Non-Performing Assets (NPA):

(Amt. in ₹ Million)

Particulars (NPA Gross)	As on March 31, 2019
Opening Balance as on January 01,2019	553,603.80
Additions	22,111.20
Write Offs	64,550.40
Reductions	10,885.20
Closing Balances	500,279.40

g. Movement of Specific & General NPA Provisions:

(Amt. in ₹ Million)

Particulars	As March 31, 2019
	Specific Provisions
Opening Balance as on January 01,2019	339,998.90
Add : Provision made during the period	81,931.80
Less : Transfer to Countercyclical Provisional Buffer	0.00
Less : Write offs	64,550.40

Particulars	As March 31, 2019
	Specific Provisions
Less : Write Back of excess provision	5,475.30
Closing Balances	351,904.93

*Including NPV Loss on NPA and NCLT Provision.

h. Write-offs and recoveries that have been booked directly to the income statement is Rs. **2047.89 mn.** for March 2019 quarter.

i. **Position of Non-Performing Investments (NPI) as on March 31, 2019**

(Amt. in ₹ Million)

Particulars	As on March 31, 2019
Amount of Non-performing Investments (NPI)	12,621.63
Amount of provisions held for Non-performing Investments	10,136.55

j. **Movement of provisions for depreciation on investments (including bonds and debentures) (Q2Q)**

(Amt. in ₹ Million)

Particulars	As on March 31, 2019
Opening Balance as on January 01, 2019	62,458.86
Provisions made during the period	8,757.40
Write offs / Write Back of excess provisions	34,652.39
Closing Balance	36,563.87

k. **Industry Wise NPA & Provision break-up ***

(Amt. in ₹ Million)

	As of March 31, 2019		During the current Period	
	Gross NPA	Specific Provision (NPA)	Specific Provision (NPA)	Write-Offs
NPAs and Specific Provisions in Top 5 Industries	291,948.69	187,327.16	28,820.19	104,637.11

* Industries identified based on Gross Credit Exposure to Industries.

l. **Geography based position of NPA & Provision break-up:**

(Amt. in ₹ Million)

Particulars	As on March 31, 2019		
	Domestic	Overseas	Total
Gross NPA	429,196.18	71,083.18	500,279.36
Specific Provision for NPA	312,177.99	39,726.94	351,904.93

Table DF-4: Credit Risk: Disclosures for Portfolios Subject to the Standardised approach

The Bank uses the solicited ratings assigned by the external credit rating agencies specified by RBI for calculating risk weights on its exposures for capital calculations. In line with the Basel guidelines, banks are required to use the external ratings assigned by domestic credit rating agencies viz. CRISIL, CARE, ICRA, India Ratings, Brickwork, ACUTIE, INFOMERICS and international credit rating agencies Fitch, Moody's and Standard & Poor's. The ratings assigned, are used for all eligible on balance sheet & off balance sheet exposure. Only those ratings which are publicly available and are in force as per the monthly bulletin of the rating agencies are considered.

The entire amount of credit risk exposure to the Bank is taken into account for external credit assessment, to be eligible for risk weighting purposes. The Bank uses short term ratings for exposures with contractual maturity of less than or equal to one year and long term ratings for those exposures which have a contractual maturity of over one year.

The process used to assign the ratings to a corporate exposure and apply the appropriate risk weight is as per the regulatory guidelines prescribed by RBI. In cases where multiple external ratings are available for a given corporate, the lower rating, where there are two ratings and the second lowest rating, where there are three or more ratings is applied. The table given below gives the breakup of net outstanding amounts of assets in Banking Book and Non Fund Based Facilities after Credit Risk Mitigation in 3 major risk buckets as well as those that are deducted:

(Amt. in ₹ Million)

Risk Weight	Net Exposure
Less than 100%	2,441,702.17
At 100%	421,158.73
More than 100%	292,367.49
Deduction from Capital	310.98
Total	3,155,539.37

Table DF-5: Credit Risk Mitigation: Disclosures for Standardised Approaches:

Collateral is an asset or a right provided by the borrower to the lender to secure a credit facility. Bank obtains collaterals against its exposures to mitigate credit risk. The Bank has a Board approved Credit policy which covers Collateral Management and Credit Risk Mitigation (CRM) Techniques. These include norms on acceptable collaterals, procedures & processes to enable classification and valuation of such collaterals. On-Balance sheet netting is confined to loans and deposits, where the Bank has legally enforceable netting arrangements, involving specific lien in addition to other stipulated conditions. The netting is only undertaken for loans against collaterals of the same counterparty and subject to identifiable netting arrangement. Both financial as well as non-financial collaterals are used to hedge its credit exposures. Appropriate collateral for a product is determined after taking into account the type of borrower, the risk profile and the facility. The main types of eligible financial collaterals accepted by the Bank are Cash, Bank's own deposits, Gold, National Savings Certificates, Kisan Vikas Patra, Insurance policies with a declared surrender value and various Debt securities. The non-financial collaterals include Land & Building, Plant & Machinery, Stock, etc. However, under the retail portfolio the collaterals are defined as per the type of product e.g. collateral for housing loan would be residential mortgage and an automobile is a collateral for auto loan. Most of the eligible financial collaterals, where the Bank has availed capital benefits under CRM techniques, are in the form of Bank's own FDs which are not subject to credit or market risk.

The Bank also considers guarantees for securing its exposures; however only those guarantees which are direct, explicit and unconditional are considered. Sovereigns, Public Sector Entities, Banks, Primary Dealers, Credit Guarantee fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE), Export Credit Guarantee Corporation (ECGC) and highly rated corporate entities are considered as eligible guarantors by the Bank for availing capital benefits as stipulated in the Basel guidelines. The Bank utilizes various processes and techniques to reduce the impact of the credit risk to which it is exposed. CRM is one such tool designed to reduce the Bank's credit exposure to the counterparty while calculating its capital requirement to the extent of the value of eligible financial collateral. The credit exposure to a counter party is adjusted by the value of eligible financial collaterals after applying appropriate haircuts. The haircuts are applied to account for volatility in value, including those arising from currency mismatch for both the exposure and the collateral. For availing capital savings under eligible guarantees, the amount of exposure is divided into covered and uncovered portions. The covered portion of the exposure attracts the risk weight of guarantor, while the uncovered portion continues to attract the risk weight of the obligor subject to meeting requirements stipulated in the Basel guidelines.

The Bank's exposures where CRM techniques were applied are as follows:

(Amt. in ₹ Million)

Particulars	Fund Based	Non-Fund Based *
Total Exposures covered by eligible financial collateral	116,264.15	133,169.07
Exposure after taking benefit of eligible collateral	34,369.14	102,330.72

* Non-Market Related

The exposure covered by corporate guarantees where CRM techniques as per RBI guidelines were applied amounted to ₹ 55,306.41 Million as on March 31, 2019.

DF-6: Securitization exposure-Disclosure for Standardized Approach

Qualitative Disclosures													
a) The general qualitative disclosures with respect to securitization activities of the Bank are as follows:													
<ul style="list-style-type: none"> The Bank's objectives in relation to securitization activity, including the extent to which these activities transfer credit risk of the underlying securitized exposures away from the bank to other entities. 	<p>Bank has not securitized-out any standard loans during financial year ended on March 31, 2019. Hence, transfer of credit risk is not applicable.</p> <p>However, in order to supplement the achievement of target in Priority Sector Lending (PSL), the Bank has invested in Pass Through Certificates (PTC) i.e. Assets securitized by various NBFC/MFI in the past.</p>												
<ul style="list-style-type: none"> The nature of other risks inherent in securitized assets. 	<p>Not applicable as the Bank has not securitized-out any standard loans. In case of investment in PTCs, the repayment is done out of the collections from the ultimate borrowers. Further Credit Enhancement is also available as determined by Rating Agency based on the rating. If the losses in the pool exceed level of credit enhancement, the losses are to be borne by Bank.</p>												
<ul style="list-style-type: none"> The various roles played by the Bank in the securitization process and an indication of the extent of the bank's involvement in each of them; 	<p>Bank has played the role of Investor, Provider of Credit Enhancement and Liquidity Facility in Securitization. The exposures in above category as on March 31, 2019 is as under:</p> <p style="text-align: right;">(₹ Million)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Sr. No</th> <th>Role played</th> <th>No. of transactions</th> <th>Amount involved</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Investor (O/s)</td> <td>22</td> <td>11,379.59</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Provider of Credit enhancement (Second Loss Facility/ Liquidity Facility)</td> <td>Nil</td> <td>Nil</td> </tr> </tbody> </table>	Sr. No	Role played	No. of transactions	Amount involved	1	Investor (O/s)	22	11,379.59	2	Provider of Credit enhancement (Second Loss Facility/ Liquidity Facility)	Nil	Nil
Sr. No	Role played	No. of transactions	Amount involved										
1	Investor (O/s)	22	11,379.59										
2	Provider of Credit enhancement (Second Loss Facility/ Liquidity Facility)	Nil	Nil										
<ul style="list-style-type: none"> a description of the processes in place to monitor changes in the credit and market risk of securitization exposures. 	<p>Bank periodically monitors the collection performance, repayments, and prepayments, utilization of Credit Enhancement, Mark to Market, due diligence and rating review of the pools in invested portfolio of Securitization as per Credit Policy.</p>												
<ul style="list-style-type: none"> a description of the bank's policy governing the use of credit risk mitigation to mitigate the risks retained through securitization exposures; 	<p>The Bank follows extant RBI guidelines on Investment in securitized papers/ PTCs as outlined in RBI circular dated May 07, 2012 and August 21, 2012. The Bank acquires securitized assets with adequate Credit Enhancement as stipulated by the rating agencies.</p>												
b) Summary of the bank's accounting policies for securitization activities, including:													
<ul style="list-style-type: none"> whether the transactions are treated as sales or financings; 	<p>Bank has not securitized any standard loans. However it has invested through acquisition of receivables from NBFC/MFI in the past, which is treated as investments in the books of bank.</p>												
<ul style="list-style-type: none"> methods and key assumptions (including inputs) applied in valuing positions retained or purchased 	<p>The Bank's Investment in securitized papers/ PTCs are categorized under Available For Sale category and valuation of the same has been carried out as per RBI/ FIMMDA guidelines.</p>												

	<ul style="list-style-type: none"> changes in methods and key assumptions from the previous period and impact of the changes; 	No change
	<ul style="list-style-type: none"> policies for recognizing liabilities on the balance sheet for arrangements that could require the bank to provide financial support for securitized assets. 	The Bank has no direct securitized exposure as on date. However, the Bank Guarantee (BG) provided by the Bank as credit enhancement for PTC transactions in the past, carried out by other banks, are recognized as contingent liabilities in Bank's book and accounting treatment is given accordingly.
c)	<p>In the banking book, the names of External Credit Assessment Institutions (ECAIs) used for securitization and the types of securitization exposure for which each agency is used.</p>	The exposures securitized are externally rated by CRISIL, CARE, ICRA, India Ratings & Research Pvt Ltd.
Quantitative disclosures with respect to securitization activities of the Bank in the Banking book are as follows:		
d)	The total amount of exposures securitized by the bank	Nil
e)	For exposures securitized, losses recognized by the bank during the current period broken by the exposure type.	Nil
f)	Amount of assets intended to be securitized within a year.	Nil
g)	Of the above, the amount of assets originated within a year before securitization.	Not Applicable
h)	The total amount of exposures securitized (by exposure type) and unrecognized gain or losses on sale by exposure type.	Nil
i)	Aggregate amount of: <ul style="list-style-type: none"> on-balance sheet securitization exposures retained or purchased broken down by exposure type and 	Nil
	<ul style="list-style-type: none"> off-balance sheet securitization exposures broken down by exposure type 	Nil
j)	<ul style="list-style-type: none"> Aggregate amount of securitization exposures retained or purchased and the associated capital charges, broken down between exposures and further broken down into different risk weight bands for each regulatory capital approach 	Nil
	<ul style="list-style-type: none"> Exposures that have been deducted entirely from Tier 1 capital, credit enhancing Interest only strips deducted from total capital, and other exposures deducted from total capital. 	Nil
Quantitative disclosures with respect to securitization activities of the Bank in the Trading book are as follows:		
k)	Aggregate amount of exposures securitized by the bank for which the bank has retained some exposures and which is subject to the market risk approach, by exposure type.	No standard loans have been securitized by Bank.
l)	Aggregate amount of: <ul style="list-style-type: none"> on-balance sheet securitization exposures retained or purchased broken down by exposure type; and 	<p>The Bank's investment in Pass Through Certificates (PTC) i.e. Assets securitized by various NBFC/MFI during the financial year as on March 31, 2019-Rs.7657.20 Million.</p> <p>The total outstanding PTC portfolio as on March 31, 2019 was Rs.11,379.59 Million.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> off-balance sheet securitization exposures broken down by exposure type. 	Nil																
m)	<p>Aggregate amount of securitization exposures retained or purchased separately for:</p> <ul style="list-style-type: none"> Securitization exposures retained or purchased subject to Comprehensive Risk Measure for specific risk; and Securitization exposures subject to the securitization framework for specific risk broken down into different risk weight bands. 	<p>The total outstanding PTC portfolio as on March 31, 2019 was Rs.11,379.59 Million. However, Bank has invested /purchased in PSL portfolio of Rs.7,657.20 Million during half year as on March 31, 2019.</p> <p>Securitization exposure with risk weight bands:</p> <p style="text-align: right;">(Amt. in Millions)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Sr. No</th> <th>Amount</th> <th>Rating</th> <th>Risk Weight</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>3,557.34</td> <td>AAA</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>3,001.07</td> <td>AA</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>4,821.18</td> <td>A</td> <td>50%</td> </tr> </tbody> </table>	Sr. No	Amount	Rating	Risk Weight	1	3,557.34	AAA	20%	2	3,001.07	AA	30%	3	4,821.18	A	50%
Sr. No	Amount	Rating	Risk Weight															
1	3,557.34	AAA	20%															
2	3,001.07	AA	30%															
3	4,821.18	A	50%															
n)	<p>Aggregate amount of:</p> <ul style="list-style-type: none"> the capital requirements for the securitization exposures, subject to the securitization framework broken down into different risk weight bands. 	<p style="text-align: right;">(Amt. in Millions)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Sr. No</th> <th>Amount</th> <th>Rating</th> <th>Risk Weight</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>3,557.34</td> <td>AAA</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>3,001.07</td> <td>AA</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>4,821.18</td> <td>A</td> <td>50%</td> </tr> </tbody> </table>	Sr. No	Amount	Rating	Risk Weight	1	3,557.34	AAA	20%	2	3,001.07	AA	30%	3	4,821.18	A	50%
Sr. No	Amount	Rating	Risk Weight															
1	3,557.34	AAA	20%															
2	3,001.07	AA	30%															
3	4,821.18	A	50%															
	<ul style="list-style-type: none"> Securitization exposures that are deducted entirely from Tier 1 capital, credit enhancing Interest only strips deducted from total capital, and other exposures deducted from total capital. 	Nil																

Table DF-7: Market Risk in Trading Book

Market Risk is the risk of loss in the value of an investment due to adverse movements in the level of the market variables such as interest rates, equity prices, exchange rates and commodity prices, as well as volatilities therein. The Bank is exposed to market risk through its trading activities, which are carried out on its own account as well as those undertaken on behalf of its customers. The Bank monitors and manages the financial exposures arising out of these activities as an integral part of its overall risk management system. The system takes cognizance of the unpredictable nature of the financial markets and strives to minimize any adverse impact on the shareholders' wealth.

The Bank has formulated an Asset Liabilities Management (ALM) Policy, a Market Risk and Derivative Policy and an Investment Policy all of which are approved by the Board. These policies ensure that operations in securities, foreign exchange and derivatives are conducted in accordance with sound & acceptable business practices and are as per the extant regulatory guidelines. These policies contain the limit structure that governs transactions in financial instruments. These policies are reviewed periodically to incorporate changed business requirements, economic environment and changes in regulations in addition to process and product innovations.

The Asset Liability Management Committee (ALCO) comprising top executives of the Bank meet regularly to manage balance sheet risks in a coordinated manner. ALCO focuses on the management of risks viz. liquidity, interest rate and foreign exchange risks. Interest rate sensitivity analysis is measured through impact of interest rate movements on the Economic Value of Equity and Net Interest Income (NII) of the Bank. The Market Risk and Derivative Policy identify the trading risks to be managed by the Bank. It also lays down the organizational structure, tools, systems, processes, etc., necessary for appropriate levels of risk management in the trading book. The important risk management tools employed by the Bank are Marked to Market (MTM) of trading portfolio, PV01, modified duration, Stop loss, Greek limits, Potential Future Exposure, stress testing etc.

The Investment policy has been framed keeping in view market dynamics and various circulars issued by RBI in this regard. The policy lays down the parameters for investments in instruments, the purpose for such investments and the eligible customers with whom Bank can transact.

The Bank manages its market risk with the broad objectives of:

1. Identifying risks pertaining to trading book assets, interest rates and currencies
2. Formulating and implementing risk management policies
3. Assessing risk appetite and setting appropriate limits in consultation with business
4. Establishing monitoring and control mechanisms

5. Reducing operating costs through risk containment
6. Reviewing risk levels
7. Assessing risk adjusted performance

The Bank has an independent Market Risk Group (MRG)/Middle Office which is responsible for identification, assessment, monitoring and reporting of market risk in Treasury operations and to highlight exceptions, if any. The group also recommends changes in policies and methodologies for measuring market risk. The main strategies and processes of the group are:-

1. Delegation: Appropriate delegation of powers has been put in place for treasury operations. Investment decisions are vested with Investment Committee of the Board. MRG monitors various limits, which have been laid down in the policies.
2. Controls: The systems have adequate data integrity controls. The controls are used for audit purpose as well.
3. Exception handling processes: The limits set in the policies have been inserted in the system for ensuring that the same is being enforced to minimize exceptions. The limit breaches/exceptions, if any, are analyzed and ratified from the delegated authorities.

The MRG periodically reports on forex, investment and derivative product related risk measures to the senior management and committees of the Board. The Bank also reports to regulators as per the reporting requirements. Based on the risk appetite of the Bank, limits are placed on the risk metrics which are monitored on a periodic basis.

Aggregation of capital charge for market risks as on March 31, 2019

(Amt. in ₹ Million)

	Risk Category	Capital charge
a.	Capital Charge on account of specific risk	5,039.69
i)	<i>On interest rate related</i>	1,586.46
ii)	<i>On equities</i>	3,453.23
iii)	<i>On derivatives</i>	-
b.	Capital charge on account of general market risk	10,457.49
i)	<i>On interest rate related instruments</i>	8,654.05
ii)	<i>On equities</i>	1,434.41
iii)	<i>On Foreign exchange</i>	360.00
iv)	<i>On precious metals</i>	-
v)	<i>On derivatives (FX Options)</i>	9.03
	Total Capital Charge on Trading Book (a+b)	15,497.18
	Total Risk Weighted Assets on Trading Book	19,3714.75

Table DF-8: Operational Risk

Operational Risk is defined as the risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people & systems or from external events inherent in Bank's business activities. This includes legal risk, but excludes strategic and reputational risks.

Operational Risk Management Framework

The Bank has a well-defined Operational Risk Management Policy in place. The main objectives of the policy are identification and assessment of operational risks attached to banking activities and developing capabilities, tools, systems and processes to monitor and mitigate these risks.

The Bank has a robust Operational Risk Management Framework and has also established an enabling organizational structure comprising Board of Directors, Risk Management Committee (RMC) of the Board and Operational Risk Management Committee (ORMC) for effective management of Operational Risk. Review reports on Operational Risk management activities are periodically presented to ORMC and RMC of the Board.

At present, the Bank is following the Basic Indicator Approach for computation of capital charge for Operational Risk. The Bank is putting concerted efforts to further improve its Operational Risk management systems & procedures. The Bank has framed and

implemented Key Risk Indicator and Risk & Control Self-Assessment frameworks, for assessment & monitoring of operational risks. Further, the Bank has procured Comprehensive Operational Risk Evaluator system (CORE) for management of operational risks. The Bank has been collecting operational risk loss data through CORE system and categorizing into various business lines and loss event types in accordance with the RBI guidelines. Training programmes on Operational Risk Management are regularly conducted for continued sensitization of officers, working at operational level, to strengthen the first line of defence. ORM Section is in the process of conducting Stress Testing exercise for Operational Risk Losses and its impact on capital and profit.

Bank's initiatives for implementation of Business Continuity Management (BCM)

In order to safeguard the human life & Bank's assets and to ensure continuity in banking services during disruption/ disaster, the Bank has put in place a well-defined BCM for its various critical functions, which also fulfils regulatory requirements.

BCM comprises Business Continuity Plan (BCP) and Disaster Management Plan (DMP). These BCM documents, inter alia, incorporate the modalities, in an event of business disruption/disaster and consequent recovery strategies & plans. The resilience of these plans under different disruption scenarios are tested on an ongoing basis through mock evacuation drills, DR drills, Holistic DR Drill for critical IT applications and BCP testing exercises. Moreover, Bank's Business Continuity Management System (BCMS) is ISO22301:2012 compliant. A robust and effective BCM enables the Bank to provide uninterrupted services and facilitate customer satisfaction. To mitigate the risk of system failure, the Bank has set up a Disaster Recovery (DR) site at Chennai & a near DR site at Mumbai. The Bank periodically carries out DR drill exercises to test the capabilities of DR site. Reporting of any disruption incident & BCM activities is automated through the application software i-DaB.

Table DF-9: Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB)

IRRBB refers to the potential impact on the Bank's earnings and economic value of assets and liabilities due to adverse movement in interest rates.

Recognizing the importance of interest rate risk management, the Asset Liability Committee (ALCO) of the Bank regularly monitors the interest rate risk exposures and suggests appropriate steps/ provides directions on composition and growth of deposits and advances, pricing of deposits and advances and management of money market operations and investment books etc., to control IRRBB within the prescribed internal limits.

Impact of parallel shift in Interest Rate by 100 basis points- (Time Horizon: 1 year)		
	Scenario	Impact (Rs Millions)
Earnings at Risk (EAR)	Increase by 100 bps	809.70
	Decrease by 100 bps	(809.70)
Economic Value of Equity (EVE)	Increase by 100 bps	11612.21
	Decrease by 100 bps	(11612.21)

Table DF-10: General Disclosure for Exposures Related to Counterparty Credit Risk :

The Bank follows a structured process to ascertain the credit risk of an asset relationship with a counter-party covering both fund based and non-fund based facilities. Suitable policy frameworks are put in place in the form of Credit policy, Counterparty-Bank Policy, Market Risk & Derivative Policy, Investment Policy, Collateral Management Policy and Country Risk Policy which outline the guiding principles to manage Counterparty Credit Risk (CCR). In line with regulatory guidelines, the Credit policy of the Bank stipulates broad contours of counterparty credit exposure limits in respect of single borrower and borrowings by a group in relation to the Bank's capital fund. In addition, various internal thresholds are stipulated prudentially in relation to Net Worth, Total Committed Exposures (TCE), Total Outstanding exposure, Advances etc. Prudential limits in the form of sectoral limits are also stipulated in addition to applicable regulatory norms on the capital market segment. Currently, the Bank is computing capital on CCR following the standardized approach and adhering to regulations under Basel III.

The Bank's rating module, encompassing various rating models, supports internal credit rating of counter-party. Product specific guidelines are also defined in terms of customer suitability and appropriateness along with applicable terms and conditions. The Bank also has a Credit Support Annex (CSA) arrangement with select counter-party banks. CSA defines the terms under which collateral is transferred between derivative counterparties to mitigate the credit risk arising from derivative positions. The process of Collateral Management covers the entire gamut of activities right from its acceptability to its legal enforceability at the time of need. In establishing credit reserve, the Bank caters to various alternative techniques including escrow mechanism and charges thereon, activating Debt Service Reserve Account (DSRA), lien mark on deposits with the Bank, stipulating conditions towards higher margin, obtaining personal and third party guarantee etc. Credit filtering standards and product guidelines of the Bank capture the associated

wrong way risk exposure. The notional value of credit derivative hedges and the distribution of current credit exposure by types of credit exposure:

(Amt. in ₹ Million)

Derivatives	Notional	Current Exposure
Interest Rate Swaps	121,725.87	2,158.17
Currency Swaps	62,384.72	9,936.12
Currency Options	9,586.67	384.26
Forwards	556,358.29	22,990.19
Banking Book (including DIFC)	Notional	Current Exposure
Interest Rate Swaps	48,408.50	484.09
Currency Swaps	263.77	78.86

Table DF-11: Composition of Capital

(Amt. in ₹ Million)

Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves		
1	Directly issued qualifying common share capital plus related stock surplus (share premium)	507,494.91
2	Retained earnings	-326,024.13
3	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	158,535.96
4	Directly issued capital subject to phase out from CET1 capital (only applicable to non-joint stock companies)	-
5	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)	-
	Share application money allowed as CET1, pending allotment	-
6	CET1 capital before regulatory deductions	340,006.73
Common Equity Tier 1 capital: regulatory adjustments		
7	Prudential valuation adjustments	-
8	Goodwill (net of associated deferred tax liability)	-
9	Intangibles (net of related tax liability)	754.52
10	Deferred tax assets associated with accumulated losses	71,016.40
11	Cash flow hedge reserve	-
12	Shortfall of provisions to expected losses	-
13	Securitisation gain on sale	-
14	Gains and losses due to changes in own credit risk on fair valued liabilities	-
15	Defined benefit pension fund net assets	-
16	Investments in own shares (if not already netted off paid-in capital on reported balance sheet)	-
17	Reciprocal cross-holdings in CET1 capital instruments	70.90
	DTA recognition in CET 1 capital upto 10% of banks adjusted CET 1 Capital	25,115.56
18	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued share capital (amount above 10% threshold)	-

(Amt. in ₹ Million)

Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves		
19	Significant capital investments in CET1 capital instruments issued by financial sector entities that are outside the scope of regulatory consolidation (amount above 10% threshold)	-
20	Mortgage servicing rights (amount above 10% threshold)	-
21	Deferred tax assets arising from temporary differences	125,867.15
22	Amount exceeding the 15% threshold	-
23	of which: significant investments in the common stock of financial sector entities	-
24	of which: mortgage servicing rights	-
25	of which: deferred tax assets arising from temporary differences	125,867.15
26	National specific regulatory adjustments (26a+26b+26c+26d)	310.98
26a	of which: Investments in the equity capital of the unconsolidated insurance subsidiaries	-
26b	of which: Investments in the equity capital of unconsolidated non-financial subsidiaries	310.98
26c	of which: Shortfall in the equity capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	-
26d	of which: Unamortised pension funds expenditures	-
	Other regulatory adjustments (illiquid investment position)	204.00
27	Regulatory adjustments applied to Common Equity Tier 1 due to insufficient Additional Tier 1 and Tier 2 to cover deductions	-
28	Total regulatory adjustments to Common Equity Tier 1	173,108.39
29	Common Equity Tier 1 capital (CET1)	166,898.34
Additional Tier 1 capital: instruments		
30	Directly Issued Qualifying Additional Tier 1 instruments plus related stock surplus (Share Premium) (31+32)	-
31	of which: classified as equity under applicable accounting standards (Perpetual Non-Cumulative Preference Shares)	-
32	of which: classified as liabilities under applicable accounting standards (Perpetual debt instruments)	0.00
33	<i>Directly issued Capital instruments subject to phase out from AT1 capital</i>	4,130.40
34	Additional Tier 1 instruments (and CET1 instruments not included in row 5) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group AT1)	-
35	<i>of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out</i>	-
36	Additional Tier 1 capital before regulatory deductions	4,130.40
Additional Tier 1 capital: regulatory adjustments		
37	Investments in own Additional Tier 1 instruments	-
38	Reciprocal cross-holdings in Additional Tier 1 instruments	0.00

(Amt. in ₹ Million)

Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves		
39	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above 10% threshold)	-
40	Significant investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	-
41	National specific regulatory adjustments (41a+41b)	-
41a	<i>of which:</i> Investments in the Additional Tier 1 capital of unconsolidated insurance subsidiaries	-
41b	<i>of which:</i> Shortfall in the Additional Tier 1 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	-
42	Regulatory adjustments applied to AT1 capital due to insufficient Tier 2 capital to cover deductions	-
43	Total regulatory adjustments to AT1 capital	0.00
44	Additional Tier 1 capital (AT1)	4,130.40
45	Tier 1 capital (Tier 1 = CET1 + AT1) (29+44a)	171,028.74
Tier 2 capital: instruments and provisions		
46	Directly issued qualifying Tier 2 instruments plus related stock surplus	19,000.00
47	<i>Directly issued capital instruments subject to phase out from Tier 2</i>	19,773.18
48	Tier 2 instruments (and CET1 and AT1 instruments not included in rows 5 or 34) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group Tier 2)	-
49	<i>of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out</i>	-
50	Provisions	6,193.69
51	Tier 2 capital before regulatory deductions	44,966.87
Tier 2 capital: regulatory adjustments		
52	Investments in own Tier 2 capital instruments	-
53	Reciprocal cross-holdings in Tier 2 capital instruments	0.00
54	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above the 10% threshold)	-
55	Significant investments in the capital banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	-
56	National specific regulatory adjustments (56a+56b)	0.00
56a	<i>of which:</i> Investments in the Tier 2 capital of unconsolidated subsidiaries	0.00
56b	<i>of which:</i> Shortfall in the Tier 2 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	-
57	Total regulatory adjustments to Tier 2 capital	0.00
58	Tier 2 capital (T2)	44,966.87

(Amt. in ₹ Million)

Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves		
59	Total capital (Total capital = Tier 1 + Tier 2)	215,995.61
60	Total risk weighted assets (60a+60b+60c)	1,841,558.87
60a	of which: total credit risk weighted assets	1,477,864.48
60b	of which: total market risk weighted assets	193,714.75
60c	of which: total operational risk weighted assets	169,979.64
Capital ratios and buffers		
61	Common Equity Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	9.06%
62	Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	9.29%
63	Total capital (as a percentage of risk weighted assets)	11.73%
64	Institution specific buffer requirement (minimum CET1 requirement plus capital conservation and countercyclical buffer requirements, expressed as a percentage of risk weighted assets)	7.375%
65	<i>of which: capital conservation buffer requirement</i>	1.875%
66	<i>of which: bank specific countercyclical buffer requirement</i>	-
67	<i>of which: G-SIB buffer requirement</i>	-
68	Common Equity Tier 1 available to meet buffers (as a percentage of risk weighted assets)	0.00
National minima (if different from Basel 3 minimum)		
69	National Common Equity Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	
70	National Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	
71	National total capital minimum ratio (if different from Basel III minimum)	
Amounts below the thresholds for deduction (before risk weighting)		
72	Non-significant investments in the capital of other financial entities	3,707.66
73	Significant investments in the common stock of financial entities	9,958.64
74	Mortgage servicing rights (net of related tax liability)	N.A.
75	Deferred tax assets arising from temporary differences (net of related tax liability)	N.A.
Applicable caps on the inclusion of provisions in Tier 2 capital		
76	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to standardised approach (prior to application of cap)	6,193.69
77	Cap on inclusion of provisions in Tier 2 under standardised approach	-
78	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to internal ratings-based approach (prior to application of cap)	N.A.
79	Cap for inclusion of provisions in Tier 2 under internal ratings-based approach	N.A.
Capital instruments subject to phase-out arrangements (only applicable between March 31, 2017 and March 31, 2022)		
80	<i>Current cap on CET1 capital instruments subject to phase out arrangements</i>	N.A.

(Amt. in ₹ Million)

Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves		
81	Amount excluded from CET1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	N.A.
82	Current cap on AT1 instruments subject to phase out arrangements	N.A.
83	Amount excluded from AT1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	N.A.
84	Current cap on T2 instruments subject to phase out arrangements	N.A.
85	Amount excluded from T2 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	N.A.

Notes to Template

Row No. of the template	Particular	(₹ In million)
10	Deferred tax assets associated with accumulated losses	71,016.40
	Deferred tax assets (excluding those associated with accumulated losses) net of Deferred tax liability	125,867.15
	Total as indicated in row 10	196,883.55
19	If investments in insurance subsidiaries are not deducted fully from capital and instead considered under 10% threshold for deduction, the resultant increase in the capital of bank	0
	of which: Increase in Common Equity Tier 1 capital	
	of which: Increase in Additional Tier 1 capital	
	of which: Increase in Tier 2 capital	
26b	If investments in the equity capital of unconsolidated non-financial subsidiaries are not deducted and hence, risk weighted then:	
	(i) Increase in Common Equity Tier 1 capital	
	(ii) Increase in risk weighted assets	
50	Eligible Provisions included in Tier 2 capital	6,193.69
	Eligible Revaluation Reserves included in Tier 1 capital	30,217.60
	Total of row 50	36,411.28

Table DF-12: Composition of Capital- Reconciliation Requirements:**Step 1:**

(Amt. in ₹ Million)

		Balance sheet as in financial statements	Balance sheet under regulatory scope of consolidation
		As on reporting date	As on reporting date
A	Capital & Liabilities		
i	Paid-up Capital	77,362.95	77,362.95
	Reserves & Surplus	629,820.86	625,632.67
	Minority Interest	969.79	0.00
	Total Capital	708,153.60	702,995.62

(Amt. in ₹ Million)

	Balance sheet as in financial statements	Balance sheet under regulatory scope of consolidation
	As on reporting date	As on reporting date
ii Deposits	2,271,901.07	2,273,348.94
of which: Deposits from banks	174,408.38	174,408.38
of which: Customer deposits	2,097,492.70	2,098,940.56
of which: Other deposits (pl. specify)	0.00	0.00
iii Borrowings	452,877.24	452,877.24
of which: From RBI	89,960.00	89,960.00
of which: From banks	47,714.47	47,714.47
of which: From other institutions & agencies	0.00	0.00
of which: Others (pl. specify) Borrowings Outside India, General Refinance, Flexi Bonds and Omni Bonds	186,672.77	186,672.77
of which: Capital instruments	128,530.00	128,530.00
iv Other liabilities & provisions	101,898.79	100,490.30
Total	3,534,830.71	3,529,712.10
B Assets		
i Cash and balances with Reserve Bank of India	127,316.98	127,305.57
Balance with banks and money at call and short notice	85,722.25	85,694.87
ii Investments:	933,277.25	929,314.36
of which: Government securities	830,378.63	828,814.37
of which: Other approved securities	0.00	0.00
of which: Shares	19,727.30	14,028.15
of which: Debentures & Bonds	30,488.82	29,744.65
of which: Subsidiaries / Joint Ventures / Associates	119.40	4,270.38
of which: Others (Commercial Papers, Mutual Funds etc.)	52,563.11	52,456.80
iii Loans and advances	1,467,904.38	1,467,904.38
of which: Loans and advances to banks	4,841.49	4,841.49
of which: Loans and advances to customers	1,463,062.89	1,463,062.89
iv Fixed assets	83,099.08	82,406.87
v Other assets	513,794.04	511,061.91
of which: Goodwill and intangible assets	0.00	0.00
of which: Deferred tax assets	196,886.12	196,883.55
vi Goodwill on consolidation	0.00	0.00
vii Debit balance in Profit & Loss account	323,716.73	326,024.13
Total Assets	3,534,830.71	3,529,712.09

Step 2:

(Amt. in ₹ Million)

	Balance sheet as in financial statements	Balance sheet under regulatory scope of consolidation	Balance sheet under regulatory scope of consolidation
	As on reporting date	As on reporting date	As on reporting date
A	Capital & Liabilities		
i	Paid-up Capital	77,362.95	77,362.95
	<i>of which: Amount eligible for CET1</i>	77,362.95	77,362.95
	<i>of which: Amount eligible for AT1</i>	0.00	0.00
	Reserves & Surplus	629,820.86	625,632.67
	Share Premium	430,131.96	430,131.96
	Statutory Reserve	24,747.47	24,747.47
	Capital Reserve	28,748.76	26,120.70
	Other Disclosed Free Reserve	78,915.75	77,450.19
	Credit Balance in P&L account		
	Revaluation Reserve	67,276.91	67,276.91
	<i>of which: Amount eligible for CET1</i>	30,217.60	30,217.60
	Minority Interest	969.79	0.00
	Total Capital	708,153.60	702,995.62
ii	Deposits	2,271,901.07	2,273,348.94
	<i>of which: Deposits from banks</i>	174,408.38	174,408.38
	<i>of which: Customer deposits</i>	2,097,492.70	2,098,940.56
	<i>of which: Other deposits (pl. specify)</i>	0.00	0.00
iii	Borrowings	452,877.24	452,877.24
	<i>of which: From RBI</i>	89,960.00	89,960.00
	<i>of which: From banks</i>	47,714.47	47,714.47
	<i>of which: From other institutions & agencies</i>	0.00	0.00
	<i>of which: Others (pl. specify) Borrowings Outside India, General Refinance, Flexi Bonds and Omni Bonds</i>	186,672.77	186,672.77
	<i>of which: Capital instruments</i>	128,530.00	128,530.00
	<i>-of which</i>		
	<i>a) Eligible Additional Tier 1</i>	4,130.40	4,130.40
	<i>b) Eligible Tier 2</i>	38,773.18	38,773.18

(Amt. in ₹ Million)

	Balance sheet as in financial statements	Balance sheet under regulatory scope of consolidation	Balance sheet under regulatory scope of consolidation
	As on reporting date	As on reporting date	As on reporting date
iv	Other liabilities & provisions	101,898.79	100,490.30
	<i>of which: Prudential provisions against standard assets, provision for unhedged foreign currency exposure and excess provisions which arise on account of sale of NPAs included under Tier 2 Capital</i>	6,193.69	6,193.69
	<i>of which: Share application money received from GOI allowed as CET1 capital, pending allotment</i>	0.00	0.00
	Total	3,534,830.71	3,529,712.10
B	Asset		
i	Cash and balances with Reserve Bank of India	127,316.98	127,305.57
	Balance with banks and money at call and short notice	85,722.25	85,694.87
ii	Investments	933,277.25	929,314.36
	<i>of which: Government securities</i>	830,378.63	828,814.37
	<i>of which: Other approved securities</i>	0.00	0.00
	<i>of which: Shares</i>	19,727.30	14,028.15
	<i>of which: Debentures & Bonds</i>	30,488.82	29,744.65
	<i>of which: Subsidiaries / Joint Ventures / Associates</i>	119.40	4,270.38
	<i>of which: Others (Commercial Papers, Mutual Funds etc.)</i>	52,563.11	52,456.80
iii	Loans and advances	1,467,904.38	1,467,904.38
	<i>of which: Loans and advances to banks</i>	4,841.49	4,841.49
	<i>of which: Loans and advances to customers</i>	1,463,062.89	1,463,062.89
iv	Fixed assets	83,099.08	82,406.87
	<i>out of which intangibles</i>	773.24	754.52
v	Other Assets	513,794.04	511,061.91
	<i>of which: Goodwill and intangible assets</i>	0.00	0.00
	<i>Out of which:</i>		
	<i>Goodwill</i>	0.00	0.00
	<i>Other intangibles (excluding MSRs)</i>	0.00	0.00
	<i>Out of which Eligible Deferred tax assets</i>	196,883.55	196,883.55

(Amt. in ₹ Million)

	Balance sheet as in financial statements	Balance sheet under regulatory scope of consolidation	Balance sheet under regulatory scope of consolidation
	As on reporting date	As on reporting date	As on reporting date
vi	Goodwill on consolidation	0.00	0.00
vii	Debit balance in Profit & Loss account	323,716.73	326,024.13
	Total Assets	3,534,830.71	3,529,712.09

Step 3:-

(Amt. in ₹ Million)

Extract of Basel III common disclosure template (with added column) – Table DF-11 (Part I / Part II whichever, applicable)		
Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves		
1	Directly issued qualifying common share (and equivalent for non-joint stock companies) capital plus related stock surplus	77,362.95
2	Debit balance in Profit & Loss account	326,024.13
3	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	588,667.92
4	Share application money received from GOI allowed as CET1 capital, pending allotment	0.00
5	Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies)	-
6	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)	-
7	Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments	340,006.73
8	Prudential valuation adjustments	-
9	Goodwill (net of related tax liability)	-
10	Directly issued qualifying common share (and equivalent for non-joint stock companies) capital plus related stock surplus	77,362.95

Table DF- 13: Main features of regulatory capital instruments

“DF- 13: Main features of regulatory capital instruments issued by the Bank are available on the website under “Regulatory Disclosure Section >> FY 2018-19 (Basel III) >> March 2019”

Table DF-14: Terms and Conditions of Regulatory Capital Instruments issued by the Bank

“DF- 14.The Term Sheets for regulatory capital instruments issued by the Bank are available on the website under “Regulatory Disclosure Section >> FY 2018-19 (Basel III) >> March 2019”

Table DF-16: Equities – Banking Book Positions

Equity investments in the following are held in the Banking book

- 1 Subsidiaries & JVs - These are intended to be held for a long time with an intention to participate in the distribution of profits of the companies. These investments are classified as HTM.
2. Associates - Most of these investments were originated by the erstwhile Development Financial Institutional (DFI) in fulfillment of its development banking role. Bank intends to divest these investments as and when opportunity arises. These investments are classified as AFS.
3. Shareholding of less than 20% in equity capital of the investee companies which has been acquired through subscription / purchase / conversion of loan dues into equity/recovery of recompense. These are intended to be held over medium term and to be divested through buyback and / or sale through third parties, stock exchanges or otherwise. These investments are classified as AFS.

As per the RBI guidelines, investments classified under HTM category need not be marked to market and carried at acquisition cost. Any diminution, other than temporary, in the value of equity investments is provided for. Any loss on sale of investments in HTM category is recognized in the profit and loss statement. Any profit on sale of investments under HTM category is recognized in the profit and loss statement and is then appropriated to capital reserve, net of taxes and statutory reserve.

As per the Investment policy, the quoted equity shares in the Bank's portfolio are marked to market on a daily basis. Equity shares for which current quotations are not available or where the shares are not quoted on the stock exchanges, are valued at the break-up value (without considering 'revaluation reserves,' if any) which is ascertained from the company's latest balance sheet (not more than one year prior to the date of valuation). In case the latest balance sheet is not available the shares are valued at Re.1 per company.

There has been no change in these practices during the reporting period

Equity Investments in Banking Book:

Sr.No	Description	(Amt. in ₹ Million)
1	Equity Investments in Banking Book	
	a) Value disclosed in the balance sheet of investments	27,410.57
	b) Fair value of the investments	29,142.00
	As Bank considers the publicly quoted share value to be the fair value of such shares, there is no material difference between the two values.	
2	The types and nature of investments including the amount that can be classified as:	Equity shares
	a. Publicly traded	16,515.12
	b. Privately held (Unlisted)	10,895.45
3	The cumulative realised gains (losses) arising from sales and liquidations in the reporting period.	762.96
4	Total unrealised gains (losses)*	Nil
5	Total latent revaluation gains (losses)**	1,731.43
6	Any amounts of the above included in Tier 1 and or Tier 2 capital.	Nil

* Unrealised gains (losses) recognised in the balance sheet but not through the profit and loss account.

** Unrealised gains (losses) not recognised either in the balance sheet or through the profit and loss account.

Table DF-17: Leverage Ratio – Summary Comparison of Accounting Assets vs. Leverage Ratio Exposure Measure

Sr.No	Item	(₹ Millions)
1	Total consolidated assets as per published financial statements	3,211,113.98
2	Adjustment for investments in banking, financial, insurance or commercial entities that are consolidated for accounting purposes but outside the scope of regulatory consolidation	(502.60)
3	Adjustment for fiduciary assets recognized on the balance sheet pursuant to the operative accounting framework but excluded from the leverage ratio exposure measure	0
4	Adjustments for derivative financial instruments	37,825.19
5	Adjustment for securities financing transactions (i.e. repos and similar secured lending)	-
6	Adjustment for off-balance sheet items (i.e. conversion to credit equivalent amounts of off-balance sheet exposures)	569,679.80
7	Other adjustments	177,172.29
8	Leverage ratio exposure	3,641,949.28

DF-18: Leverage ratio common disclosure template

Sr.No.	Item	(₹ Millions)
On-balance sheet exposures		
1	On-balance sheet items (excluding derivatives and SFTs, but including collateral)	3,135,445
2	(Asset amounts deducted in determining Basel III Tier 1 capital)	(173,108)
3	Total on-balance sheet exposures (excluding derivatives and SFTs) (sum of lines 1 and 2)	2,962,336
Derivative exposures		
4	Replacement cost associated with all <i>derivatives transactions (i.e. net of eligible cash variation margin)</i>	17,541
5	Add-on amounts for PFE associated with <i>all</i> derivatives transactions	20,284
6	Gross-up for derivatives collateral provided where deducted from the balance sheet assets pursuant to the operative accounting framework	0.00
7	(Deductions of receivables assets for cash variation margin provided in derivatives transactions)	0
8	(Exempted CCP leg of client-cleared trade exposures)	0
9	Adjusted effective notional amount of written credit derivatives	0
10	(Adjusted effective notional offsets and add-on deductions for written credit derivatives)	0
11	Total derivative exposures (sum of lines 4 to 10)	37,825.19
Securities financing transaction exposures		
12	Gross SFT assets (with no recognition of netting), after adjusting for sale accounting transactions	71,500
13	(Netted amounts of cash payables and cash receivables of gross SFT assets)	0
14	CCR exposure for SFT assets	608
15	Agent transaction exposures	0

Sr.No.	Item	(₹ Millions)
16	Total securities financing transaction exposures (sum of lines 12 to 15)	72,108
Other off-balance sheet exposures		
17	Off-balance sheet exposure at gross notional amount	1,831,150
18	(Adjustments for conversion to credit equivalent amounts)	(1,261,470)
19	Off-balance sheet items (sum of lines 17 and 18)	569,680
Capital and total exposures		
20	Tier 1 capital	171,029
21	Total exposures (sum of lines 3, 11, 16 and 19)	3,641,949
Leverage ratio		
22	Basel III leverage ratio	4.69%

Reconciliation between Total consolidated assets as per published financial statements and On-balance sheet exposure under leverage ratio

Sr.No	Item	(₹ Millions)
1	Total consolidated assets as per published financial statements	3,211,113.98
2	Replacement cost associated with all derivatives transactions, i.e. net of eligible cash variation margin	-
3	Adjustment for securities financing transactions (i.e. repos and similar secured lending)	72,108.08
4	Adjustment for Collaterals and adjustments entities outside the scope of regulatory consolidation	3561.30
5	On-balance sheet exposure under leverage ratio (excluding derivatives and SFTs)	3,101,180.71
